SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 12
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 12

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

.... को लोकसभा एवं राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय-वस्तु

विवरण		पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		*(i)*
कार्यकारी सारांश		*(iii)*
अध्याय - 1	**परिचय**	**1-7**
1.1	ई-वे बिल का परिचय	1
1.2	विभाग की संगठनात्मक संरचना	2
1.3	ई-वे बिल के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियाँ	2
1.4	ई-वे बिल प्रणाली में सम्मिलित प्रक्रियाएं	3
1.4.1	पोर्टल पर पंजीकरण	5
1.4.2	ई-वे बिल का सृजन	5
1.4.3	'बिल टू शिप टू' लेन-देन	6
1.4.4	ई-वे बिल की वैधता	6
1.4.5	ई-वे बिल का समय विस्तार	7
1.4.6	ई-वे बिल का निरस्तीकरण	7
1.4.7	ई-वे बिल का अस्वीकरण	7
अध्याय - 2	**लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं नमूनाकरण पद्धति**	**9-14**
2.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	9
2.2	लेखापरीक्षा मानदंड	9
2.3	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	9
2.4	लेखापरीक्षा नमूनाकरण पद्धति	10
2.5	लेखापरीक्षा में आई बाधाएं	12
अध्याय - 3	**ई-वे बिल आंकड़ों की प्रवृत्ति एवं अंतर्दृष्टि**	**15-18**
3.1	ई-वे बिलों का प्रवृत्ति विश्लेषण	15
अध्याय - 4	**ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता**	**19-55**
4.1	क्या ई-वे बिल तंत्र सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी था	19

विवरण		पृष्ठ संख्या
4.1.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	19
4.1.2	कर देयता का अनिर्वहन/अल्प निर्वहन	22
4.1.3	ई-वे बिल आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से पहचान की गई विसंगतियां	42
4.1.4	करदाताओं के एक समूह द्वारा कुल बिक्री का जानबूझकर छिपाव	43
4.1.5	आईटीसी का लाभ उठाने में पाई गई विसंगतियां	49
4.1.6	विविध मामले	52
अध्याय - 5	**विभाग के निवारक कार्य**	**57-73**
5.1	ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता एवं प्रभावशीलता	58
5.1.1	विभाग की परिचालनात्मक तैयारी	59
5.1.2	कर अपवंचन-विरोधी उपायों की प्रभावशीलता	65
5.1.3	अपंजीकृत करदाताओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के सृजित ई-वे बिल	72
5.2	राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	73
अध्याय - 6	**निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं**	**75-77**
6.1	निष्कर्ष	75
6.2	अनुशंसाएं	76
परिशिष्ट		**79-87**
परिशिष्ट-I	अन्तः राज्यीय ई-वे बिल के लिए निर्धारित सीमा	79
परिशिष्ट-II	मुख्य समस्या क्षेत्र	81
परिशिष्ट-III	राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	83
शब्द्कोश		**88-89**

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में "जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं एवं ई-वे बिल सृजित करने के संदर्भ में करदाताओं द्वारा कर अनुपालन पर लेखापरीक्षा सत्यापन के परिणाम एवं ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग के निवारक कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में फरवरी 2023 से जुलाई 2023 की अवधि के दौरान किए गए लेखापरीक्षा परीक्षण में सामने आए उदाहरण उल्लिखित हैं, जिसके लिए सीबीआईसी से प्रतिक्रियाएं मांगी गई थीं एवं जो आंशिक रूप से प्राप्त हुईं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में राजस्व विभाग, सीबीआईसी एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सारांश

परिचय

जीएसटी कर व्यवस्था में, ई-वे बिल माल की आवाजाही के लिए आवश्यक दस्तावेज है और इसे माल की आवाजाही से पहले उसका विवरण प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ई-वे बिल को 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया है | पूरी प्रक्रिया के स्वचालन एवं मानकीकरण का उद्देश्य कर अपवंचन को रोकने तथा जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में मदद करना था। ई-वे बिल को व्यापार से इतर बाधाओं को दूर करने के लिए भी अभिकल्पित किया गया है, ताकि पारगमन समय कम हो एवं आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार हो।

जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) का उद्देश्य सरकार के राजस्व हित की रक्षा में ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करना एवं ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक गतिविधियों की दक्षता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित ई-वे बिल लेन-देन इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किए गए थे तथा फरवरी 2023 से जुलाई 2023 तक लेखापरीक्षा आयोजित की गयी थी।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा जोखिम आधारित दृष्टिकोण पर की गई है एवं नमूनों का चयन मुख्य समस्या क्षेत्रों (केपीए) की पहचान के आधार पर क्रमशः 956 करदाताओं से संबंधित 2,244 ई-वे बिल और निवारक इकाइयों के 50 प्रतिशत के रूप में किया गया था।

अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण सीमित लेखापरीक्षा क्षेत्र

2,244 चयनित ई-वे बिल को सत्यापित करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए 956 चयनित करदाताओं (संबंधित 2,244 ई-वे बिल के संदर्भ में) के संबंध में अभिलेखों की मांग की। हालांकि, 108 करदाताओं के संबंध में अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया एवं 334 करदाताओं के संबंध में केवल आंशिक अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया। इसी तरह ई-वे बिल सत्यापन के दर्ज किए गए मामलों से संबंधित अभिलेखों के संबंध में, 58 आयुक्तालयों से संबंधित 1,559 दर्ज किए गए मामलों के

अभिलेखों की मांग की गयी थी, जिनमें से 13 आयुक्तालयों द्वारा 153 मामलों के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 2.5 एवं 5.1.2.1)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश:

1. कर देयता का अनिर्वहन/अल्प निर्वहन

(i) लेखापरीक्षा ने देखा कि 24 आयुक्तालयों से संबंधित कंपोजिशन उद्ग्रहण योजना (सीएलएस) के अंतर्गत 36 करदाताओं ने अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित किए थे या/एवं कंपोजिशन योजना के लिए निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए उनकी कुल बिक्री ने निर्धारित सीमा को पार कर लिया था। इन मामलों में ₹ 0.51 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 6.74 करोड़ का कम कर भुगतान देखा गया था।

(पैराग्राफ 4.1.2(क))

(ii) लेखापरीक्षा ने देखा कि ई-वे बिल द्वारा समर्थित अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक ₹ 2,285.23 करोड़ के लिए जावक आपूर्ति करने वाले 37 आयुक्तालयों से संबंधित 103 करदाताओं ने या तो अपनी विवरणी दाखिल नहीं की थी या अपनी विवरणी में कुल बिक्री का उल्लेख नहीं किया। इन मामलों में ₹ 3.25 करोड़ ब्याज के साथ ₹ 307.37 करोड़ कर की राशि शामिल थी।

(पैराग्राफ 4.1.2(ख))

(iii) लेखापरीक्षा ने देखा कि 24 आयुक्तालयों से संबंधित 43 करदाताओं ने उनके पंजीकरण को रद्द करने की प्रभावी तिथि के बाद अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक ₹ 152.60 करोड़ के लिए जावक आपूर्ति करने हेतु ई-वे बिल सृजित किए थे। इन मामलों में ₹ 0.94 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 23.56 करोड़ की कर देयता वसूली योग्य थी।

(पैराग्राफ 4.1.2(ग))

(iv) लेखापरीक्षा ने देखा कि 33 आयुक्तालयों के अंतर्गत आने वाले 71 करदाताओं ने अपनी विवरणियों में शून्य बिक्री को रिपोर्ट करते हुए, वास्तव में ₹ 340.42 करोड़ राशि की जावक आपूर्ति की, जैसा कि ई-वे बिल से अभिनिश्चित

किया गया। ₹ 3.69 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 50.41 करोड़ की कर राशि वसूली योग्य निर्धारित की गई।

(पैराग्राफ 4.1.2(ङ))

(v) लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 53 आयुक्तालयों से संबंधित 174 करदाताओं ने अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक ₹ 1,750.87 करोड़ की जावक आपूर्ति इन आपूर्तियों पर ₹ 9.29 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 168.06 करोड़ की वसूली योग्य कर देयता का निर्वहन किए बिना की थी।

(पैराग्राफ 4.1.2(च))

2. ई-वे बिल आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से पहचान की गई विसंगतियां

ई-वे बिल लेन-देन आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से, लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में विसंगतियों को देखा। प्रणाली स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आंकड़ों को विभाग को भेजा गया था।

(पैराग्राफ 4.1.3)

3. करदाताओं के एक समूह द्वारा कुल बिक्री का जानबूझकर छिपाव

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन आयुक्तालयों से संबंधित 18 करदाताओं ने ₹ 168.21 करोड़ की जावक आपूर्ति के लिए 3,137 ई-वे बिल सृजित किए थे। विवरणियां दाखिल न करने या अपनी विवरणियों में कुल बिक्री को रिपोर्ट न करने के कारण, करदाताओं ने ₹ 45.19 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 81.11 करोड़ की कर देयता का निर्वहन नहीं किया था।

(पैराग्राफ 4.1.4)

4. आईटीसी का लाभ उठाने में पाई गई विसंगतियां

लेखापरीक्षा ने पाया कि 28 आयुक्तालयों से संबंधित 72 करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 1,357.89 करोड़ के आईटीसी का लाभ उठाया था, हालांकि, जीएसटीआर-2ए के अनुसार ₹ 1,202.48 करोड़ आईटीसी उपलब्ध था। इस प्रकार, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी एवं जीएसटीआर-3बी के माध्यम से करदाताओं द्वारा के उठाए गए लाभ के मध्य 155.41 करोड़ का मिलान नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 4.1.5(क))

5. एनआईसी द्वारा सृजित ई-वे बिल पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग

ई-वे बिल पर एनआईसी 97 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है, एवं इनके प्रयोग हेतु एनआईसी- ई-वे बिल पोर्टल के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के जीएसटी विभागों के साथ साझा करता है।

58 चयनित आयुक्तालयों में से, 46 आयुक्तालयों ने बताया कि वाहनों के अवरोधन की योजना बनाने के लिये वे रिपोर्ट का उपयोग नहीं कर रहे थे।

(पैराग्राफ 5.1.1.5(ii))

6. ई-वे बिल सत्यापन के दौरान कर एवं दंड की मांग का सृजन न होना/कम सृजन होना

58 आयुक्तालयों से संबंधित 1,405 दर्ज किए गए मामलों की जांच से पता चला कि 200 मामलों के संदर्भ में वाहन, ₹ 2.60 करोड़ की मांग सृजित किए बिना छोडे गए थे। इसके अलावा, 93 मामलों के संबंध में ₹ 0.79 करोड़ की कम मांग सृजित की गयी थी।

(पैराग्राफ 5.1.2.2)

7. अपंजीकृत करदाताओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के सृजित ई-वे बिल

अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा 3,585 ई-वे बिलों, जिसमें से के प्रत्येक ई-वे बिल सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए निर्धारित ₹ 40 लाख सीमा से अधिक का था, को सृजित किया गया था।

(पैराग्राफ 5.1.3)

8. अनुशंसाएं

(1) विभाग ई-वे बिल प्रणाली में निम्न सत्यापन नियंत्रण शामिल करे:

(क) निर्धारित सीमा पार करने एवं अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित करने वाले सीएलएस करदाता के साथ-साथ विभागीय अधिकारी को सतर्क करें।

(ख) उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल सृजित करने, लेकिन कर देयता का निर्वहन न करने वाले करदाताओं को चिन्हित करें एवं ऐसे करदाताओं की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को करें।

(ग) एकल बीजक /समान बीजक के साथ कई ई-वे बिल सृजित करने से संबंधित विषय पर करदाता एवं विभागीय अधिकारी को सतर्क करें।

(घ) जब भी प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल सृजित होता है तो करदाताओं को सचेत करें।

(ङ) ई-वे बिल में अनुचित / असामान्य उच्च मूल्य एवं असंगत आंकड़ों को रोकें/सतर्क करे।

(2) विभाग पूर्व तिथि से पंजीकरण रद्द करने से पूर्व, करदाता द्वारा सृजित ई-वे बिल पर विचार करने, एवं कर की वसूली के लिए जहां भी लागू हो कार्रवाई करने हेतु, संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने पर विचार करे।

(3) विभाग, राजस्व की रक्षा के लिए ई-वे बिल सत्यापन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के लिए श्रम शक्ति एवं गश्त वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

(4) विभाग, वाहनों के अवरोधन की योजना, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए ई-वे बिल पर एनआईसी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करे।

(5) विभाग अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के ई-वे बिल को सृजित करने से रोकने हेतु ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 6.2)

अध्याय-1: परिचय

1.1 ई-वे बिल का परिचय

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, जिसमें 'एक राष्ट्र एक कर' के प्रतिमान के आधार पर अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है। जीएसटी व्यवस्था का एक उद्देश्य प्रक्रिया से संबंधित विलंब को कम करके माल एवं सेवाओं की आवाजाही हेतु दक्षता में सुधार करना था।

वे बिल एक ऐसी सुविधा थी जो जीएसटी से पहले की व्यवस्थाओं में भी मौजूद थी, जिसमें माल की आवाजाही मानवीय रूप से संचालित (राजस्व) चेक पोस्ट के माध्यम से प्रशासित होती थी। किसी विशेष राज्य में प्रवेश करने वाले माल पर 'प्रवेश कर' लगाया जाता था, जिसे अब जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। ई-वे बिल को सरकार द्वारा निगरानी वाले कर प्रशासन मॉडल से करदाता द्वारा स्वयं रिपोर्टिंग मॉडल में बदलाव के रूप में माना जाता है।

ई-वे बिल माल की आवाजाही के लिए आवश्यक दस्तावेज है और इसे माल की आवाजाही से पहले उसका विवरण प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। पूरी प्रक्रिया के स्वचालन एवं मानकीकरण का उद्देश्य कर अपवंचन को रोकने तथा जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में मदद करना था। ई-वे बिल को व्यापार से इतर बाधाओं को दूर करने के लिए भी अभिकल्पित किया गया है, ताकि पारगमन समय कम हो एवं आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार हो।

ई-वे बिल 1 अप्रैल 2018 से सभी अंतर-राज्यीय माल की आवाजाही के लिए लागू किया गया जो ₹ 50,000 से अधिक मूल्य वाले थे। अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए ई-वे बिल को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य बनाया गया, जिसकी प्रारंभिक सीमा **(परिशिष्ट-I)** संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गयी।

केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम (सीजीएसटी नियम), 2017 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 138 एवं 138ए से ई तक में ई-वे बिल क्रियाविधि का प्रावधान है। माल की आवाजाही से पहले माल की खेप के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह इस बात पर ध्यान दिए बिना जारी की जानी

चाहिए कि आवाजाही आपूर्ति के संबंध में है या आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से है।

बाह्य् आपूर्ति के लिए बनाए गए ई-वे बिल 'बीजकों' द्वारा समर्थित हैं तथा नियमित करदाताओं द्वारा बीजक विवरण को जीएसटीआर-1 में प्रतिवेदित करना आवश्यक है। ऐसी आपूर्तियों का सारांश विवरण कंपोजिशन करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-4/सीएमपी-08 में प्रतिवेदित करना आवश्यक है। सीबीआईसी द्वारा दिए गए निर्देशों[1] के अनुसार, सक्षम अधिकारी विवरणियों की जांच के समय ई-वे बिल पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों/विवरण पर भरोसा कर सकता है।

1.2 विभाग की संगठनात्मक संरचना

वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) देश भर में केन्द्र प्रशासित करदाताओं के लिए जीएसटी लागू करने वाली शीर्ष संस्था है। देश में 21 जीएसटी जोन हैं और इसके अंतर्गत 107 जीएसटी करदाता सेवा आयुक्तालय (कार्यकारी आयुक्तालय), 48 लेखापरीक्षा आयुक्तालय और 49 अपील आयुक्तालय हैं।

प्रत्येक आयुक्तालय में समर्पित निवारक संरचनाएं हैं जो ई-वे बिलों के सत्यापन सहित कर अपवंचन विरोधी कार्य करती हैं।

1.3 ई-वे बिल के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियाँ

ई-वे बिल कॉमन पोर्टल का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है और इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वाहन[2] प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि ई-वे बिल बनाते समय वाहन पंजीकरण संख्या का सत्यापन किया जा सके। फास्टैग प्रणाली को 1 जनवरी 2021 से ई-वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। ई-वे बिल कॉमन

---

[1] वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए जीएसटी विवरणियों की संवीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के पैरा 6.1 को सीबीआईसी निर्देश संख्या 2/2022-जीएसटी, दिनांक 22 मार्च 2022 के माध्यम से जारी किया गया और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी विवरणियों की संवीक्षा के लिए एसओपी के पैरा 5.1 को सीबीआईसी निर्देश संख्या 2/2023-जीएसटी, दिनांक 26 मई 2023 के माध्यम से जारी किया गया।

[2] 'वाहन' एक ऐसी प्रणाली है जो वाहन पंजीकरण की सभी गतिविधियों का ध्यान रखती है।

पोर्टल पर, ई-वे बिलों को सृजित करने, विस्तार, निरस्तीकरण करने एवं अस्वीकृत करने के उद्देश्य से करदाता का एक बार पंजीकरण आवश्यक है।

सक्षम अधिकारी (केंद्र और राज्य/ संघराज्य क्षेत्र दोनों) दो तरीकों से ई-वे बिल पोर्टल का अभिगमन कर सकते हैं: - (i) दिए गए लॉगिन विवरण का उपयोग करके वेब ब्राउज़र के माध्यम से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में लॉग इन कर के या (ii) जीएसटी ई-वे बिल सिस्टम मोबाइल ऐप में लॉग इन कर के। सक्षम अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य, ई-वे बिलों का सत्यापन, सृजित किए गए ई-वे बिल को अनब्लॉक करना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट देखना तथा उन तक पहुँचना आदि हैं।

1.4 ई-वे बिल प्रणाली में सम्मिलित प्रक्रियाएं

ई-वे बिल प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे पोर्टल में आवश्यक व्यक्तियों का नामांकन, ई-वे बिल सृजित करना, विस्तार करना, सृजित किए गए ई-वे बिलों का निरस्तीकरण एवं अस्वीकृत करना आदि सम्मिलित हैं। जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली की पूरी प्रक्रिया प्रवाह निम्नलिखित फ्लोचार्ट **(चित्र-1)** में दर्शाया गया है।

चित्र 1: ई-वे बिल तंत्र - प्रक्रिया प्रवाह चार्ट

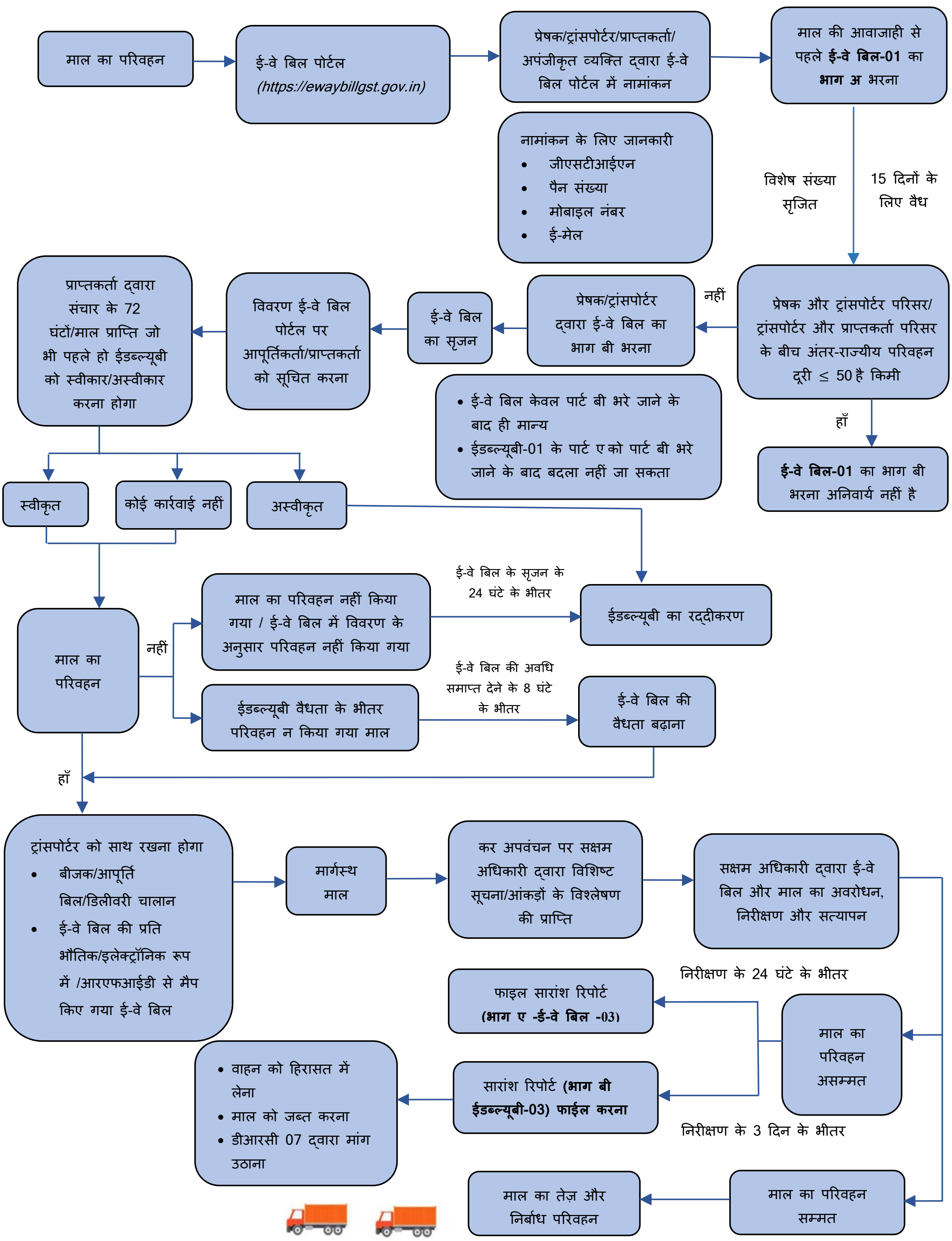

ई-वे बिलों को सृजित करने, निरस्तीकरण और विस्तार में सम्मिलित प्रक्रिया एवं ई-वे बिल प्रणाली में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

1.4.1 पोर्टल पर पंजीकरण

सीजीएसटी नियमावली के नियम 138 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही करता है, उसे ई-वे बिल-01 में आवश्यक विवरण प्रदान करके ई-वे बिल सृजित करना होगा।

ई-वे बिलों को सृजित करने के लिए जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति, परिवाहक (जीएसटी पंजीकृत या अपंजीकृत) और नागरिको/अपंजीकृत व्यक्तियों[3] को राज्य, माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), वैध नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन), मोबाइल नंबर आदि जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करके ई-वे बिल पोर्टल में खुद को नामांकित करना आवश्यक है। परिवाहक, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने ग्राहकों के लिए माल की आवाजाही करते हैं, उन्हें ई-वे बिल पोर्टल पर नामांकन करना होगा और 15 अंकों की विशिष्ट परिवाहक आईडी प्राप्त करनी होगी।

1.4.2 ई-वे बिल का सृजन

सीजीएसटी नियमावली के नियम 138 के अनुसार ई-वे बिल फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग ए में (एक बार प्रस्तुत करने के बाद संपादित नहीं किया जा सकता है) विवरण प्रस्तुत करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से निम्नलिखित में से किसी भी व्यक्ति द्वारा सृजित किया जा सकता है:

- प्रेषक
- परिवाहक
    - ➢ प्रेषक द्वारा प्राधिकरण के मामले में या
    - ➢ यदि प्रेषक एक अपंजीकृत व्यक्ति है,
- परेषिती

---

[3] सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138(3) के तहत 10 जुलाई 2024 से प्रभावी चौथे प्रावधान में यह प्रावधान है कि ई-वे बिल बनाने के लिए अपेक्षित अपंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर ईएनआर-03 में सामान्य पोर्टल पर विवरण प्रस्तुत करना होगा और विवरण के सत्यापन के बाद एक विशिष्ट नामांकन संख्या तैयार की जाएगी।

ई-वे बिल-01 के भाग-ए में माल के विवरण जैसे आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, प्रेषण का स्थान, प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन, वितरण का स्थान, दस्तावेज़ संख्या, दस्तावेज़ तिथि, माल का मूल्य, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड तथा परिवहन का कारण उपलब्ध है। भाग-बी में सड़क मार्ग से माल के लिए वाहन संख्या और परिवहन दस्तावेज़ संख्या प्रदान की जाती है।

अन्तः राज्यीय/ संघ राज्यक्षेत्र में लेनदेन के लिए जब माल को प्रेषक के परिसर से परिवाहक के परिसर में या परिवाहक के परिसर से माल प्राप्तकर्ता के परिसर में ले जाया जाता है तब 50 किलोमीटर तक की दूरी हेतु वाहन संख्या का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। एकाधिक खेपों के लिए उत्पन्न लेकिन एक ही वाहन में परिवहन किए जाने वाले अनेक ई-वे बिलों के मामले में समेकित ई-वे बिल फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-02 में सृजित किए जा सकते हैं।

1.4.3 'बिल टू शिप टू' लेनदेन

'बिल टू शिप टू' लेनदेन में तीन व्यक्ति अर्थात आपूर्तिकर्ता, क्रेता और प्राप्तकर्ता सम्मिलित होते हैं। माल क्रेता द्वारा खरीदा जाता है और क्रेता की ओर से आपूर्तिकर्ता के स्थान से प्राप्तकर्ता के स्थान तक पहुँचाया जाता है। इस लेन-देन में ई-वे बिल, आपूर्तिकर्ता या क्रेता द्वारा सृजित किया जा सकता है। क्रेता आपूर्तिकर्ता को क्रेता की ओर से प्राप्तकर्ता को माल की आपूर्ति करने का आदेश देता है। इस लेनदेन में दो आपूर्तियाँ एवं दो बीजक सम्मिलित हैं।

1.4.4 ई-वे बिल की वैधता

सीजीएसटी नियमावली के नियम 138(10) के अनुसार ई-वे बिल की वैधता दूरी और लदान के प्रकार पर निर्भर करती है। वैधता की गणना उस तिथि से की जाती है जिस दिन ई-वे बिल सृजित किया जाता है (प्रासंगिक तिथि) एवं वैधता की अवधि ई-वे बिल के बनने की मध्यरात्रि से शुरू होगी।

1 जनवरी 2021 से वैधता अवधि अधिक आयामी कार्गो के अलावा अन्य खेप के संबंध में 200 किमी के लिए एक दिन है एवं प्रत्येक 200 किमी या उसके बाद के भाग के लिए एक अतिरिक्त दिन है। उस तिथि से पहले वैधता अवधि 100 किमी के लिए एक दिन तथा प्रत्येक 100 किमी या उसके बाद के भाग

के लिए एक अतिरिक्त दिन थी। अति आयामी कार्गो के संबंध में यह 20 किमी के लिए एक दिन तथा प्रत्येक 20 किमी या उसके बाद के भाग के लिए एक अतिरिक्त दिन है।

1.4.5 ई-वे बिल का समय विस्तार

सीजीएसटी नियमावली के नियम 138(10) के प्रावधान-3 के अनुसार, ई-वे बिल की वैधता को परिवाहक द्वारा असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, जहां ई-वे बिल की मूल वैधता अवधि के भीतर माल का परिवहन फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग बी में विवरण अद्यतित करने के बाद, इसकी समाप्ति के समय से आठ घंटे के भीतर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, नियमों के प्रावधान-1 के अनुसार, परिषद की अनुशंसा पर आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं की कुछ श्रेणियों के लिए ई-वे बिल की वैधता बढ़ाई जा सकती है।

1.4.6 ई-वे बिल का निरस्तीकरण

सीजीएसटी नियमावली के नियम 138(9) के अनुसार, जहां ई-वे बिल सृजित किया जाता है, उसे सृजित होने के 24 घंटे के भीतर सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरस्तीकरण किया जा सकता है। हालांकि, अगर ई-वे बिल को पारगमन में सत्यापित किया गया है, तो उसका निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता है।

1.4.7 ई-वे बिल का अस्वीकरण

सीजीएसटी नियमावली के नियम 138(11) और (12) के अनुसार, सृजित किए गए ई-वे बिल का विवरण प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा, एवं उसे परिवहन किए जा रहे माल की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचित करना आवश्यक है। यदि प्राप्तकर्ता विवरण बताए जाने के 72 घंटे के भीतर या माल के वितरण के समय जो भी पहले हो, अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचित नहीं करता है, तो ई-वे बिल को स्वीकार किया गया माना जाएगा।

अध्याय-2: लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं नमूनाकरण पद्धति

जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा (ई-वे बिल पर निष्पादन लेखापरीक्षा) के संचालन के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र एव, नमूनाकरण पद्धति पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) का लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्नलिखित की जांच करना था:

1. क्या ई-वे बिल तंत्र, सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी था; और
2. क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियाँ कुशल एवं प्रभावी थीं।

2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुरूप किया गया था:

- » केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम)
- » केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 (सीजीएसटी नियमावली)
- » सीबीआईसी द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/निर्देश
- » एनआईसी/सीबीआईसी द्वारा जारी परामर्श/मानक संचालन प्रक्रियाएं

2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 के मध्य की अवधि से संबंधित ई-वे बिल पोर्टल में पंजीकृत व्यक्तियों के ई-वे बिल लेनदेन को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली के समग्र निष्पादन की जांच की। लेखापरीक्षा अवधि के लिए ई-वे बिल आंकड़ें (उत्पादित) माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से प्राप्त किये गये थे तथा उनका विश्लेषण किया गया था। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग द्वारा वाहनों की आवाजाही पर विचार किया गया है तथा रेल मार्ग/वायु मार्ग/समुद्री मार्ग ई-वे बिलों को इस लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में ई-वे बिलों के संदर्भ में विभाग के निवारक कार्यों का मूल्यांकन भी सम्मिलित था, जैसे वाहनों को रोकना, दस्तावेजों का सत्यापन, माल का निरीक्षण और उन पर की गई कार्रवाई।

2.4 लेखापरीक्षा नमूनाकरण पद्धति

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का प्रयास किया गया था क्योंकि प्रारंभिक सीमा के अधीन किसी भी माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल बनाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूने पहचाने गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों (केपीए) के आधार पर विकसित किए गए थे। केपीए **परिशिष्ट-II** में सूचीबद्ध हैं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूनाकरण की मूल इकाई ई-वे बिल है, जिन्हे इस उद्देश्य के लिए अभिकल्पित किए गए जोखिम मॉडल द्वारा पहचाना गया था। यह जोखिम मॉडल प्रत्येक ई-वे बिल से जुड़े कुल भारित स्कोर पर काम करता है। इसमें 1 से 10 के बीच विभिन्न केपीए के लिए महत्व (डब्ल्यू) का आवंटन सम्मिलित है; जहां सबसे अधिक जोखिम को 10 केपीए प्राप्त होगा। ऐसे केपीए के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक ई-वे बिल के लिए विशेष जोखिम के भार में सामान्यीकृत निर्धारणीय मूल्य (एवी (एन))[4] जोड़कर भारित स्कोर (डब्ल्यूएस) की गणना की गई। इसके बाद प्रत्येक ई-वे बिल के लिए भारित स्कोर की गणना की गई और भारित स्कोर के आधार पर ई-वे बिलों का चयन किया गया। नमूने का 80 प्रतिशत केन्द्रीय रूप से निर्धारित किया गया तथा शेष 20 प्रतिशत का चयन क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को उपलब्ध कराए गए बफर नमूने से किया गया।

[4] एवी (एन) की गणना एक सूत्र का उपयोग करके की गई अर्थात $\text{एवी (एन)} = \frac{\text{एवी} - \text{एवी (न्यूनतम)}}{\text{एवी(अधिकतम)} - \text{एवी(न्यूनतम)}}$

उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, लेखापरीक्षा ने आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न जोखिमों के आधार पर मूल लेखापरीक्षा[5] हेतु नमूना मामलों के रूप में 956 करदाताओं से संबंधित 2,244 ई-वे बिलों का चयन किया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने सत्यापन के लिए अतिरिक्त नमूने के रूप में 19 करदाताओं[6] का चयन किया। फरवरी 2023 और जुलाई 2023 के बीच हुई लेखापरीक्षा के दौरान, चयनित करदाताओं से संबंधित अभिलेखों की जांच करते समय, लेखापरीक्षा ने ई-वे बिलों से संबंधित लेनदेन की जांच की और जीएसटी विवरणियों तथा सीबीआईसी-जीएसटी आवेदन में उपलब्ध अन्य अभिलेखों के संदर्भ में इन करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन किया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 में प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं जैसे परिचालन संबंधी तैयारी, कर अपवंचन विरोधी उपायों की प्रभावशीलता तथा अंतर-विभागीय और अंतर-विभागीय समन्वय का मूल्यांकन किया गया। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए, स्तरीकृत नमूनाकरण पद्धति के आधार पर, 50 प्रतिशत निवारक इकाइयों को नमूने के रूप में चुना गया। इसके लिए, विभाग द्वारा सत्यापित ई-वे बिलों की औसत संख्या के आधार पर निवारक इकाइयों को दो भागों में बांटा गया। प्रत्येक स्तर से, 50 प्रतिशत निवारक कार्यालयों का यादृच्छिक रूप से चुना गया।

चयनित निवारक इकाइयों में दर्ज मामलों पर उप-नमूनों का चयन किया गया। यदि किसी निवारक इकाई में दर्ज मामलों की संख्या 50 या उससे कम थी, तो सभी मामलों को उप-नमूने के रूप में चुना गया था। ऐसे मामलों में जहां बुक किए गए मामलों की संख्या 50 से अधिक है, वहां कुल मामलों को दो स्तरों[7] में विभाजित करके और प्रत्येक स्तर से 25 मामलों का चयन करके स्तरीकृत नमूना पद्धति के आधार पर 50 मामलों का चयन किया गया था।

---

[5] व्यापक लेखापरीक्षा: कर अनुपालन की सीमा का पता लगाने के लिए संबंधित करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणियों और उनकी खाता बहियों (जहां भी आवश्यक हो) के संदर्भ में ई-वेबिल द्वारा कवर किए गए लेनदेन का विस्तृत सत्यापन।

[6] अतिरिक्त नमूनों के रूप में उन्नीस करदाताओं की पहचान की गई। एक करदाता के लेखापरीक्षण के दौरान सत्रह करदाताओं की पहचान की गई, जो एक समूह के रूप में कर चोरी में शामिल थे और चंडीगढ़ लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा कर अपवंचन की संभावना वाली वस्तुओं में कारोबार करने वाले करदाताओं में से चार करदाताओं का चयन किया गया।

[7] कर एवं जुर्माने की राशि के आधार पर।

उपरोक्त पद्धति के आधार पर, लेखापरीक्षा ने चयनित 58 आयुक्तालयों से ई-वे बिल सत्यापन और दर्ज मामलों की जानकारी मांगी। इन 58 आयुक्तालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों के आधार पर दर्ज मामलों को सत्यापन के लिए मांगा गया।

27 फरवरी 2023 को सीबीआईसी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया एवं सम्मेलन के दौरान इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा मंत्रालय को 11 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। निकास संगोष्ठी 14 नवंबर 2024 को आयोजित की गई थी; जिसमें सदस्य (सीबीआईसी), सीईओ (जीएसटीएन) और उनकी टीमों और डीडीजी, एनआईसी ने भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों एवं संबंधित अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय का उत्तर 21 अक्टूबर 2024 और 25 नवंबर 2024 को प्राप्त हुआ था। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय से प्राप्त उत्तर तथा लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर उनकी प्रतिक्रिया को, जहां भी आवश्यक हो, रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने में सीबीआईसी और उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।

2.5 लेखापरीक्षा में आई बाधाएं

सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश का प्रावधान है। इसके अलावा, सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18(2) कार्यालयों/विभागों पर यह सांविधिक दायित्व लागू करती है कि वे सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप में तथा उचित गति से अनुपालन करें।

इस संबंध में, सीबीआईसी के अध्यक्ष ने भी बोर्ड के डीओ पत्र एफ.सं.232/विविध डीएपी/2018-सीएक्स-7, दिनांक 26 अप्रैल 2018 के माध्यम से पूर्ण और व्यापक जानकारी प्राप्त एवं प्रदान करके सीएजी लेखापरीक्षा टीम के साथ सहयोग करने के संबंध में निर्देश जारी किए थे।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने 956 करदाताओं के संबंध में 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए 2,244 चयनित ई-वे बिलों और जीएसटी विवरणियों से संबंधित जानकारी एवं अभिलेखों की मांग की। इसके अतिरिक्त चयनित करदाताओं से संबंधित वार्षिक लेखे, क्रय, बिक्री रजिस्टर आदि जैसे अन्य अभिलेख भी मांगे गए। अनुरोध और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, 108 करदाताओं के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए एवं 334 करदाताओं के संबंध में आंशिक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। कुछ मामलों में, विभाग ने कहा कि उन्होंने करदाताओं से अभिलेख मांगे थे और वे प्रतीक्षित थे।

अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सकी तथा वाहनों को रोकने तथा ई-वे बिलों के सत्यापन के दौरान दर्ज मामलों के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की सत्यता का भी पता नहीं लगा सकी।

क्षेत्राधिकारक्षेत्र वाले अभिलेखों का क्षेत्र-वार गैर/आंशिक रूप से प्रस्तुतीकरण नीचे **तालिका-1** में संक्षेपित है:

तालिका-1: अभिलेखों का गैर/आंशिक रूप से प्रस्तुतीकरण

क्षेत्र	नमूना करदाताओं की कुल संख्या	करदाताओं की संख्या जहां अभिलेख है		
		प्रस्तुत किए गए	प्रस्तुत नहीं किए	आंशिक रूप से प्रस्तुत
अहमदाबाद	29	29	0	0
बेंगलुरु	51	0	0	51
भोपाल	95	23	52	20
भुवनेश्वर	48	7	1	40
चंडीगढ़	56	16	0	40
चेन्नई	97	47	13	37
दिल्ली	53	36	2	15
गुवाहाटी	45	35	0	10
हैदराबाद	19	12	7	0
जयपुर	53	22	0	31
कोलकाता	58	46	1	11
लखनऊ	30	4	13	13
मेरठ	40	9	8	23
मुंबई	44	32	0	12
नागपुर	21	18	0	3

क्षेत्र	नमूना करदाताओं की कुल संख्या	करदाताओं की संख्या जहां अभिलेख है		
		प्रस्तुत किए गए	प्रस्तुत नहीं किए	आंशिक रूप से प्रस्तुत
पंचकुला	25	20	0	5
पुणे	15	14	0	1
रांची	83	61	0	22
तिरुवनंतपुरम	44	44	0	0
वडोदरा	20	20	0	0
विशाखापत्तनम	30	19	11	0
कुल योग	**956**	**514**	**108**	**334**

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2024), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि अभिलेखों के अ-प्रस्तुतीकरण से संबंधित 19 मामलों एवं अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतीकरण से संबंधित 107 मामलों के संबंध में, अपेक्षित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए सभी सहायक दस्तावेजों में करदाताओं से भी उन दस्तावेजों को मंगाना सम्मिलित हो सकता है। इस चक्र को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी गई है।

चूंकि निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए क्षेत्रीय दौरे लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही पूरे कर लिए गए हैं, इसलिए बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच नहीं की जा सकी। मंत्रालय लेखापरीक्षा को समय पर अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को उपयुक्त निर्देश जारी करे।

अध्याय-3: ई-वे बिल आंकड़ों की प्रवृत्ति एवं अंतर्दृष्टि

1 अप्रैल 2018 से सीमा से अधिक की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्तियों के लिए माल की आवाजाही शुरू करने से पहले ई-वे बिल बनाना अनिवार्य कर दिया गया है एवं चरणबद्ध तरीके से अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए भी विस्तारित किया गया। ई-वे बिल आंकड़ों के रुझान और अंतर्दृष्टि निम्नलिखित इन्फोग्राफ़िक्स में दर्शाए गए हैं।

3.1 ई-वे बिलों का प्रवृत्ति विश्लेषण

सृजित किए गए ई-वे बिलों की संख्या, इसमें सम्मिलित विशिष्ट जीएसटीआईएन की संख्या एवं सीबीआईसी करदाताओं से संबंधित लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित खेपों के मूल्य के संदर्भ में ई-वे बिलों के उपयोग की प्रवृत्ति निम्नलिखित लेखा चित्र में दी गई है:

ग्राफ-1: सृजित ई-वे बिल (केन्द्रीय क्षेत्राधिकार) एवं सम्मिलित जीएसटीआईएन - वर्षवार वितरण

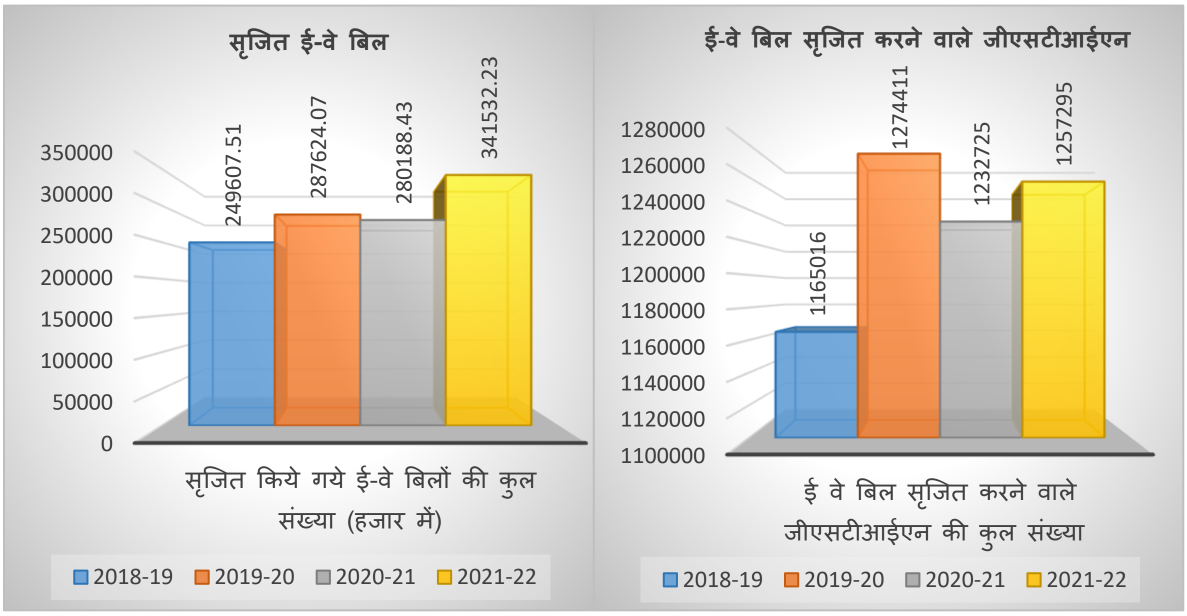

स्रोत: जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें

उपरोक्त इन्फोग्राफिक चित्र आपूर्ति के लिए सृजित किए गए ई-वे बिलों की कुल संख्या एवं सृजित करने में सम्बन्धित जीएसटीआईएन के वर्षवार वितरण को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक ई-वे बिल बनाने वाले विशिष्ट जीएसटीआईएन की संख्या में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2018-19

की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सृजित किए ई-वे बिलों की कुल संख्या में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ग्राफ-2: सृजित किए गए ई-वे बिलों का अनुपूरक-आपूर्ति के रूप में वितरण
(संख्या करोड़ में)

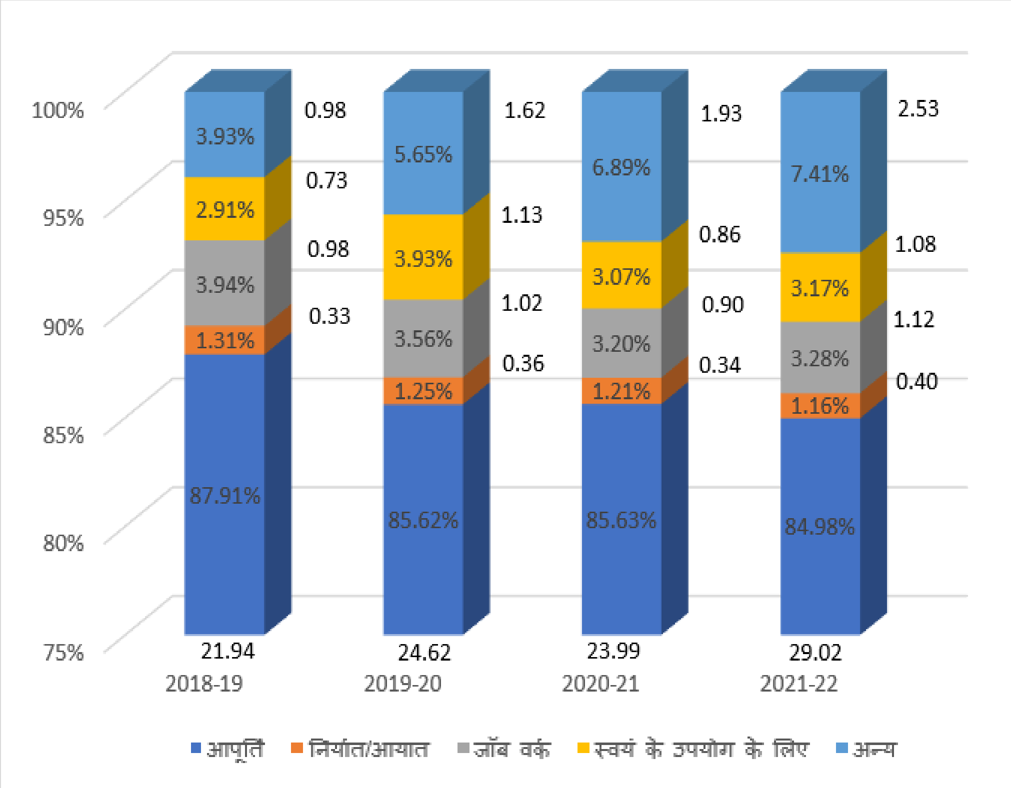

स्रोत: जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें

उपरोक्त इन्फोग्राफिक 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए विभिन्न प्रकार के खेपों के बीच ई-वे बिल के वितरण को दर्शाती है। जैसा कि रुझान से देखा जा सकता है, 'आपूर्ति' ने अग्रणी स्थान ले लिया एवं 2018-19 (21.94 करोड़) की तुलना में 2021-22 (29.02 करोड़) में इस श्रेणी में सृजित किए गए ई-वे बिल में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 'निर्यात/आयात' से संबंधित लेनदेन के लिए ई-वे बिल सृजित करने में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि 'जॉब वर्क' के लिए लेनदेन में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 'स्वयं के उपयोग के लिए' लेनदेन में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत विविध प्रकार की खेपों में चार वर्षों में 158 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

ग्राफ-3: अंतर-राज्यीय बनाम अन्त:राज्यीय ई-वे बिल[8] सृजित करना - सीबीआईसी क्षेत्र-वार (संख्या करोड़ में)

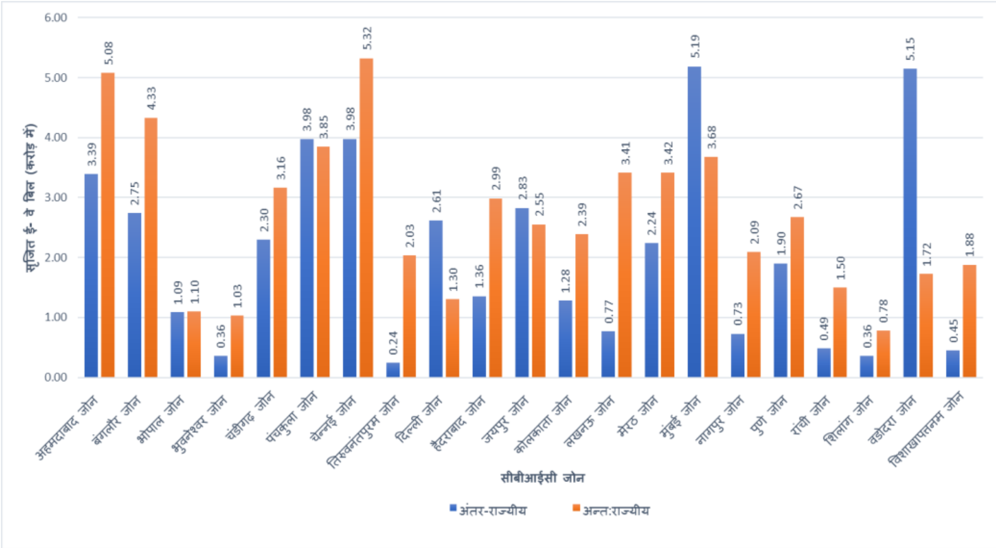

स्रोत: जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें

उपरोक्त इन्फोग्राफिक 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान सीबीआईसी जोन के अधिकारक्षेत्र के तहत करदाताओं द्वारा अंतरराज्यीय एवं अन्त:राज्यीय लेनदेन के लिए सृजित किए गए ई-वे बिलों के वितरण को दर्शाता है। वडोदरा, पंचकुला, दिल्ली, जयपुर और मुंबई को छोड़कर सभी जोनों के संबंध में अन्त: राज्यीय लेन-देनों के लिए ई-वे बिल की संख्या अंतर-राज्यीय लेन-देनों से अधिक थी।

ग्राफ-4: सृजित किए गए ई-वे बिलों का विवरण - परिवहन साधन-वार

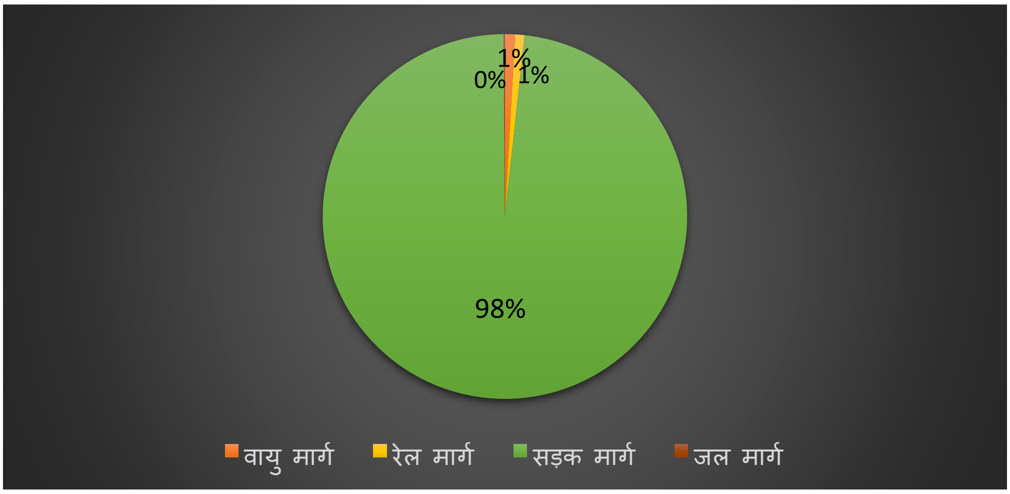

स्रोत: जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें

8 केंद्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित करदाताओं द्वारा आपूर्ति के उद्देश्य से तैयार किए गए ई-वे बिलों पर यहां विचार किया गया।

सड़क मार्ग से परिवहन ई-वे बिल द्वारा समर्थित खेपों का प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान सृजित कुल ई-वे बिलों का 98 प्रतिशत है। परिवहन के अन्य साधनों ने छोटी भूमिका निभाई क्योंकि उनकी हिस्सेदारी केवल दो प्रतिशत है।

अध्याय-4: ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता

ई-वे बिल पर निष्पादन लेखापरीक्षा का आंरभ 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान सृजित किए गए ई-वे बिल के आंकड़ों के विश्लेषण के साथ हुआ। आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान पहचाने गए केपीए के आधार पर, नमूना ई-वे बिलों की पहचान की गई एवं विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित अभिलेखों का विस्तृत सत्यापन किया गया। क्षेत्रीय दौरे के दौरान, लेखापरीक्षा जांच के लिए आवश्यक अभिलेख और जानकारी मांगी गई तथा उनकी जांच की गई। कुछ नमूनों के संबंध में, करदाताओं के अभिलेख, जैसे वित्तीय लेखे, खरीद/बिक्री रजिस्टर, भंडार लेखे आदि भी विभाग के माध्यम से मांगे गए थे। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

4.1 क्या ई-वे बिल तंत्र सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी था

फरवरी 2023 एवं जुलाई 2023 के बीच की गई लेखापरीक्षा के दौरान, प्रारंभिक जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा ने सीबीआईसी जीएसटी प्रणाली में उपलब्ध जीएसटी विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों के संदर्भ में उपरोक्त करदाताओं से संबंधित लेनदेन की आगे जांच की। इस प्रयोजन के लिए, करदाताओं से संबंधित आवधिक विवरणियों अर्थात जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-9 और स्टेटमेंट सीएमपी-08 को सीबीआईसी-जीएसटी प्रणाली से डाउनलोड किया गया। इसके अलावा, जीएसटीआर-2ए और ई-वे बिल लेनदेन का विवरण विभाग से मांगा गया। जहां भी आवश्यकता हुई, विभाग के माध्यम से करदाताओं से उनके के अभिलेख, अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण, भंडार लेखे, क्रय/बिक्री रजिस्टर भी मंगवाए गए। इन अभिलेखों सत्यापन से कर अनुपालन में विसंगतियां सामने आईं और इनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है।

4.1.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा के दौरान नमूना मामलों की विस्तृत जांच करते समय पाई गई विसंगतियां की व्यापकता का सारांश नीचे तालिका-2 में दिया गया है तथा आगे के पैराग्राफों में उनकी चर्चा की गई है।

तालिका-2: व्यापक लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अभ्युक्तियों का सारांश

क्रम सं.	विवरण	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	सम्मिलित[9] कर मूल्य (₹ करोड़ में)
1	***कर देयता का अनिर्वहन/अल्प निर्वहन***		
	क) कंपोजिशन करदाताओं द्वारा	36	7.25
	ख) उन करदाताओं द्वारा जिन्होंने विवरणी दाखिल नहीं की	103	310.62
	ग) उन करदाताओं द्वारा जिन्होंने पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) रद्द होने के बाद ई-वे बिल सृजित किये	43	24.50
	घ) उन करदाताओं द्वारा जिन्होंने एकल/समान बीजक के आधार पर कई ई-वे बिल सृजित किये	43	3.04
	ड) उन करदाताओं द्वारा जिन्होंने 'शून्य' विवरणी दाखिल की	71	54.10
	च) अन्य केपीए[10] के संबंध में करदाताओं द्वारा	174	177.35
2	***करदाताओं के समूह द्वारा कर का अपवंचन***		
	क) कर देयता का गैर/अल्प निर्वहन	18	126.30
	ख) आईटीसी का लाभ लेने में विसंगति	1	6.39
3	***आईटीसी का लाभ लेने में पाई गईं विसंगतियां***		
	(i) आईटीसी का लाभ लेने में विसंगती	72	155.41
	(ii) अपात्र आईटीसी का लाभ उठाना	2	1.63
	कुल-योग	**563**	**866.59**

[9] क्रम संख्या 1 से 3 में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में शामिल कर की राशि ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संबंधित है।

[10] परिशिष्ट-II में उल्लिखित विभिन्न केपीए से संबंधित, उपरोक्त तालिका-2 में क्रम संख्या 1(क) से (ड़) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, इस श्रेणी में शामिल किए गए थे। इन करदाताओं से संबंधित उपरोक्त क्रम संख्या 1(क) से (ड़) में केपीए पर भी अभ्युक्तियाँ हैं।

क्रम सं.	विवरण	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	सम्मिलित कर मूल्य (₹ करोड़ में)
4	***वाहनों को रोकने पर कार्य करने वाला विभाग***		
	(i) वाहनों को रोकने के दौरान मांग का सृजन किया जाना	200	2.60
	(ii) कर या जुर्माने की मांग का अल्प सृजन	93	0.79
उप-योग		**293**	**3.39**
कुल योग		**856**	**869.98**

आवंटित नमूना ई-वे बिल का क्षेत्राधिकार कार्यालय-वार विवरण, सत्यापित ई-वे बिल की संख्या एवं बताई गई विसंगतियाँ निम्नलिखित तालिका-3 में दी गई हैं।

तालिका-3: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्षेत्र	एओ-1				एओ-2
	चयनित ई-वे बिल की संख्या (नमूने के अनुसार)	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या (अतिरिक्त नमूने)	कर मूल्य (करोड़ रुपये में)	कर मूल्य (करोड़ रुपये में)
अहमदाबाद	115	29	0	18.75	0.06
बेंगलुरु	138	51	0	8.57	0.03
भोपाल	225	95	0	28.39	0.72
भुवनेश्वर	94	48	0	96.64	0
चंडीगढ़	127	56	2	63.21	0.00
चेन्नई	145	97	9	72.05	0.80
दिल्ली	141	53	8	238.25	0
गुवाहाटी	99	45	0	14.96	0.39
हैदराबाद	65	19	0	13.19	0.08
जयपुर	137	53	0	3.76	0.04
कोलकाता	179	58	0	51.36	0.45
लखनऊ	118	30	0	17.59	0.07
मेरठ	63	40	0	111.81	0.03
मुंबई	85	44	0	21.14	0.10
नागपुर	54	21	0	0.58	0.01
पंचकुला	25	25	2	1.55	0.11
पुणे	19	15	0	0.02	0
रांची	186	83	0	81.11	0.50

क्षेत्र	एओ-1				एओ-2
	चयनित ई-वे बिल की संख्या (नमूने के अनुसार)	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या (अतिरिक्त नमूने)	कर मूल्य (करोड़ रुपये में)	कर मूल्य (करोड़ रुपये में)
तिरुवनंतपुरम	92	44	0	10.57	0
वडोदरा	24	20	0	3.88	0
विशाखापत्तनम	113	30	0	9.21	0
कुल	**2,244**	**956**	**21**	**866.59**	**3.39**

कमियों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा की गई है:

4.1.2 कर देयता का अनिर्वहन/अल्प निर्वहन

(क) कंपोजिशन करदाताओं द्वारा कर देयता का अ/अल्प निर्वहन

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10(1) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार की सीमा[11] से अधिक नहीं था, वह कंपोजिशन योजना के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, उक्त अधिनियम की धारा 10(2)(सी) एक प्रतिबंध लगाती है कि यदि करदाता माल की कोई भी अंतर-राज्यीय बाह्य् आपूर्ति करता है तो वह कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा। सीजीएसटी नियमावली के नियम 6(2)में प्रावधान है कि कंपोजिशन करदाता उस दिन से नियमित दर के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिस दिन वह शर्त को पूरा करना बंद कर देता है एवं उसे ऐसा होने के सात दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल के माध्यम से कंपोजिशन योजना से हटने के लिए सूचित करना होगा।

आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, 47 करदाताओं की पहचान कंपोजिशन योजना की प्रयोज्यता को नियंत्रित करने वाली शर्तों[12] का उल्लंघन करने वालों के रूप में की गई। इन मामलों की मूल लेखापरीक्षा की गई एवं यह पाया गया

[11] कंपोजिशन स्कीम के लिए पात्र बनने हेतु प्रति वर्ष सीमा 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ₹ 1 करोड़ तथा उसके बाद ₹ 1.5 करोड़ थी। विशेष श्रेणी राज्यों के संबंध में, यह 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ₹ 50 लाख तथा उसके बाद ₹ 75 लाख थी।

[12] अंतर-राज्यीय आपूर्तियों के लिए ई-वे बिल तैयार करने वाले कंपोजिशन करदाता तथा सीमा पार करने वाले कंपोजिशन करदाता।

कि 24 आयुक्तालयों से संबंधित 36 करदाताओं ने अंतर-राज्यीय बाह्य् आपूर्ति करने के लिए ई-वे बिल सृजित किए या/एवं उनकी कुल बिक्री सीमा-रेखा पार कर गयी (25 करदाताओं ने अंतर-राज्यीय आपूर्ति की, पांच करदाताओं ने सीमा-रेखा पार की एवं छः करदाताओं ने दोनों शर्तों का उल्लंघन किया)। अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान इन करदाताओं द्वारा की गई बाह्य् आपूर्ति की राशि ₹ 53.82 करोड़ थी।

आगे की जांच से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- 36 करदाताओं में से, नौ आयुक्तालयों से संबंधित 11 करदाता अभी भी कंपोजिशन योजना के अंतर्गत बने हुए थे, जबकि योजना को नियंत्रित करने वाली शर्तें पूरी नहीं हुई थी;
- पांच आयुक्तालयों से संबंधित छः करदाताओं ने लगातार छः महीने तक विवरणियां दाखिल नहीं की। हालांकि, विभाग पंजीकरण रद्द करने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहा; एवं
- दो आयुक्तालयों से संबंधित दो करदाताओं ने अपने पंजीकरण रद्द करने की तारीखों के बाद ई-वे बिल सृजित किए। हालांकि, विभाग ने कर देयता वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इन मामलों में ₹ 6.74 करोड़ का कम कर भुगतान था, जो ₹ 0.51 करोड़ के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2023 एवं अगस्त 2023 के बीच), विभाग/मंत्रालय ने ₹ 6.04 करोड़ की राशि से जुड़े 17 आयुक्तालयों से संबंधित 24 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया। शिमला आयुक्तालय से संबंधित एक मामले के संबंध में, विभाग ने कहा कि करदाता का कारोबार ₹ 1.5 करोड़ की सीमा से कम था एवं इस तरह लेखापरीक्षा अभियुक्ति स्वीकार नहीं की गई।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ई-वे बिल विवरण से करदाता द्वारा ₹ 1.85 करोड़ की बाह्य् आपूर्ति का संकेत मिलता है। विभाग को विवरणियों में बताए गए लेन-देन के संदर्भ में ई-वे बिल लेन-देन को सत्यापित करने की आवश्यकता है।

शेष 11 मामलों के संबंध में विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)। निम्नलिखित पैराग्राफ में दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

1. गांधीनगर आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले एक कंपोजिशन करदाता (जीएसटीआईएन 24XXXXXXXXXX1ZW) ने 19 फरवरी 2019 को पंजीकरण कराया एवं 29 सितंबर 2021 से उसका पंजीकरण स्वत: रद्द कर दिया गया। करदाता ने मार्च 2019 एवं अप्रैल 2019 के दौरान ₹ 8.94 करोड़ की अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए 46 ई-वे बिल सृजित किए, जिसमें ₹ 60.04 लाख का कर शामिल था, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों का उल्लंघन है। करदाता ने उक्त अवधि के दौरान विवरणियां दाखिल नहीं की एवं इस प्रकार कर देयता का निर्वहन नहीं किया। अंतरराज्यीय आपूर्ति पर ₹ 60.04 लाख का कर ₹ 44.80 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (जून 2023), मंत्रालय ने यह कहते हुए कि मामले में एससीएन जारी किया जा चुका था, अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2024)।

2. भुवनेश्वर आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले एक कंपोजिशन करदाता (जीएसटीआईएन 21XXXXXXXXXX1Z3) ने 31 जनवरी 2018 को पंजीकरण कराया एवं करदाता के आवेदन पर उसका पंजीकरण 1 अप्रैल 2022 से रद्द कर दिया गया। करदाता ने मार्च 2022 तक सीएमपी-08 दाखिल किया और कंपोजिशन योजना के अंतर्गत कर की रियायती दर पर कर का भुगतान किया। वर्ष 2019-20 के लिए, यह देखा गया कि करदाता ने अपनी कुल बिक्री ₹ 1.70 करोड़ घोषित की एवं ₹ 1.70 लाख का कर चुकाया। हालांकि, करदाता ने धारा 10 के सीमा-रेखा प्रावधानों का उल्लंघन किया एवं ₹ 1.50 करोड़ से अधिक की कुल बिक्री की, इसलिए वह ₹ 1.50 करोड़ से अधिक की कुल बिक्री पर सामान्य दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, करदाता ने ₹ 2.90 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के साथ बाह्य् आपूर्ति के लिए 39 ई-वे बिल सृजित किए, लेकिन केवल ₹ 1.50 करोड़ की आपूर्ति घोषित की एवं रियायती दर पर कर का भुगतान

किया। इसके अलावा, करदाता ने अपने सीएमपी-08 में ₹ 1.50 करोड़ की कुल बिक्री घोषित की एवं वर्ष 2021-22 के लिए भी रियायती मूल्य पर कर का भुगतान किया। हालांकि करदाता ने 2019-20 में पहले ही कंपोजिशन योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया था, लेकिन उसने इस योजना का लाभ उठाना जारी रखा एवं घोषित ₹ 1.50 करोड़ की कुल बिक्री पर रियायती दर पर कर का भुगतान किया। चूंकि करदाता 2019-20 में ही कंपोजिशन योजना के लिए अपात्र हो गया था, इसलिए उसे सीमा-रेखा पार करने के बाद पूरी कुल बिक्री के लिए सामान्य दर पर कर का भुगतान करना था।

करदाता को वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए ₹ 84.27 लाख का कर चुकाना था। उन्होंने इन वर्षों के दौरान केवल कंपोजिशन योजना के माध्यम से ₹ 4.70 लाख का भुगतान किया। इसलिए, कर का ₹ 79.58 लाख कम भुगतान हुआ; जो ब्याज सहित वसूली योग्य था। इसे इंगित किये जाने पर (जून 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि इस करदाता को जारी कारण बताओ नोटिस अभिनिर्णित किया जा चुका था (जुलाई 2024)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणाली में कंपोजीशन शुल्क योजना (सीएलएस) करदाताओं एवं विभागीय अधिकारी को सीमा पार करने या अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित करने के लिए चेतावनी देने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

अनुशंसा 1: विभाग ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करे, ताकि सीएलएस करदाता, साथ ही विभागीय अधिकारी को सीमा पार करने एवं अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित करने के बारे में चेतावनी दी जा सके।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित करने से कंपोजिशन करदाताओं को रोकने के लिए अगस्त 2020 में ई-वे बिल प्रणाली में एक नियंत्रक शामिल किया गया। इसके अलावा, कर अधिकारियों को एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी प्रदान की गई, जिसमें उन कंपोजिशन करदाताओं को सूचीबद्ध किया गया, जिनकी ई-वे बिल के आधार पर आपूर्ति का मूल्य सीमा से अधिक था। इसके अलावा, सीएमपी-08 में घोषित कुल बिक्री ₹ 1.50 करोड़ को पार कर जाने पर कंपोजिशन करदाता को त्रुटि

संदेश प्रदान किया गया। इस प्रकार, कर अधिकारी एवं करदाता दोनों उपयुक्त रूप से सतर्क किये जाते हैं।

उत्तर से संकेत मिला कि जीएसटीएन पोर्टल पर करदाताओं को त्रुटि संदेश सीएमपी-08 विवरणी के संदर्भ में दिखाए गए, न कि ई-वे बिल के आधार पर। मंत्रालय कर अधिकारियों द्वारा एनआईसी रिपोर्ट का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करे। मंत्रालय ई-वे बिल में रिपोर्ट किए गए लेन-देन के आधार पर करदाताओं के साथ-साथ कर अधिकारियों को त्रुटि संदेश प्रदान करने पर भी विचार करे।

(ख) विवरणी दाखिल न करने वालों के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का अनिर्वहन /अल्प निर्वहन

सीजीएसटी नियमावली के नियम 59 के साथ, पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार नियमित करदाताओं को जीएसटीआर-1 में बाह्य् आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, सीजीएसटी नियमावली के नियम 61 के साथ पठित, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार उन्हें जीएसटीआर-3बी में एक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें माल या सेवाओं या दोनों की आवक एवं जावक आपूर्ति, प्राप्त आईटीसी, देय कर, भुगतान किए गए कर का विवरण घोषित किया गया हो। सीजीएसटी नियमावली[13] के नियम 62 के अनुसार, कंपोजिशन करदाताओं द्वारा ऐसी आपूर्ति का सार विवरण जीएसटीआर-4/सीएमपी-08 में रिपोर्ट किया जाना है।

सीजीएसटी नियमावली का नियम 138ई उन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल के सृजित करने को प्रतिबंधित करता है, जिन्होंने लगातार दो कर अवधि[14] के लिए प्रासंगिक जीएसटी विवरणियां दाखिल नहीं की।

---

[13] नियम 138ई को अधिसूचना संख्या 74/2018, दिनांक 31 दिसंबर 2018 के माध्यम से पेश किया गया। नियम को अधिसूचना संख्या 36/2019, दिनांक 20 अगस्त 2019 के माध्यम से 21 नवंबर 2019 से प्रभावी किया गया।

[14] सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के संबंध में दो लगातार तिमाहियों के लिए फॉर्म जीएसटी-सीएमपी-08 तथा सामान्य करदाताओं के लिए दो लगातार कर अवधियों के लिए जीएसटीआर-3बी, जैसा भी लागू हो।

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 37 आयुक्तालयों से संबंधित 103 करदाताओं ने अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 2,285.23 करोड़ की बाहृया आपूर्ति की थी। अभिलेखों के सत्यापन पर, यह पाया गया कि करदाताओं ने या तो अपनी विवरणियां दाखिल न करने या अपनी विवरणियों में कुल बिक्री की रिपोर्ट न करने के कारण अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया। कर देनदारी का निर्वहन न करने वाले उपरोक्त 103 करदाताओं में से 30 करदाताओं ने अपनी बाहृय् आपूर्ति को रिपोर्ट करते हुए संबंधित अवधि के लिए अपना जीएसटीआर-1 दाखिल किया एवं इस प्रकार ₹ 110.60 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) जारी किया। कर देनदारी का निर्वहन न करने के कारण वसूली योग्य राशि ₹ 3.25 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 307.37 करोड़ थी।

इन बातों की ओर इंगित किये जाने पर (मार्च एवं अगस्त 2023 के मध्य), विभाग/मंत्रालय ने 25 आयुक्तालयों से संबंधित 64 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिनमे ₹ 125.73 करोड़ की राशि शामिल थी। एक मामले के संबंध में, विभाग ने कहा (जुलाई 2024) कि करदाता ने सूचित किया कि उसने कोई ई-वे बिल नहीं सृजित किया है एवं उसके जीएसटीआईएन का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है एवं उसका पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया है (फरवरी 2023)। हालांकि, विभाग ने ई-वे बिल सृजित करने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए आगे की कार्रवाई की सूचना नहीं दी। आगे की प्रगति प्रतीक्षारत थी।

शेष 38 मामलों के संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा थी (नवंबर 2024)।

दो उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

1. देहरादून आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन 05XXXXXXXXXX1Z8) 26 जुलाई 2019 से नियमित जीएसटी करदाता के रूप में पंजीकृत हुआ एवं इसका पंजीकरण 29 अगस्त 2019 को स्वत: रद्द कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने अगस्त 2019 के महीने के दौरान ₹ 560.78 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के साथ 1,534 बाहृय ई-वे बिल सृजित किए थे। इस प्रकार, करदाता ने पंजीकरण से दो महीने की छोटी अवधि के भीतर उच्च मूल्य के ई-वे बिल सृजित किए। करदाता ने न तो

जीएसटीआर-1 एवं न ही जीएसटीआर-3बी दाखिल की एवं इसलिए, ₹ 67.29 करोड़ की कर देयता का निर्वहन नहीं किया; जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि भौतिक सत्यापन के दौरान करदाता का पता नहीं लगाया जा सका एवं इसलिए, एससीएन जारी करके मांग की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही थी।

2. दिल्ली पश्चिम आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1ZA) को 8 जनवरी 2018 से नियमित जीएसटी करदाता के रूप में पंजीकृत हुआ एवं 7 अक्टूबर 2019 को उसका पंजीकरण स्वतः रद्द कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने अक्टूबर 2019 तक ₹ 32.47 करोड़ के कर मूल्य के साथ जीएसटीआर-1 विवरणियां दाखिल की एवं इस तरह ₹ 32.47 करोड़ का आईटीसी जारी किया। हालांकि, करदाता ने उक्त अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट की गई बाह्य् आपूर्ति पर कर का भुगतान नहीं किया गया, जो ₹ 32.47 करोड़ था। यह लागू ब्याज दर के साथ वसूली योग्य था।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2023), मंत्रालय ने यह कहते हुए अभियुक्ति को स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2024) कि कारण बताओ नोटिस प्रक्रियाधीन था।

(ii) लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इन 103 करदाताओं का पंजीकरण विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया। तीन करदाताओं का पंजीकरण, पंजीकरण की तारीख से ही रद्द कर दिया गया एवं शेष 100 करदाताओं के संबंध में, पंजीकरण के आंकड़ों से एक से 1,647 दिनों की सीमा-रेखा के भीतर पंजीकरण रद्द कर दिया गया। उपरोक्त 103 करदाताओं में से, 17 करदाताओं का पंजीकरण, पंजीकरण की तारीख से छः महीने के भीतर रद्द कर दिया गया। इन करदाताओं ने 180 दिनों से कम समय के लिए व्यवसाय किया; लेकिन कर का भुगतान नहीं किया या अपनी बाह्य् आपूर्ति के लिए कर का कम भुगतान किया। इन

करदाताओं के पंजीकरण की वैधता का विवरण निम्नलिखित **तालिका-4** में दिया गया है:

तालिका-4: करदाता जिन्होने छः महीने के भीतर उच्च राशि वाले ई-वे बिल सृजित किए

पंजीकरण वैधता की अवधि	**करदाताओं की संख्या**	**सृजित ई-वे बिल का निर्धारणीय मूल्य (करोड़ में)[15]**	**सम्मिलित कर (करोड़ में)**
एक महीने तक	8	27.57	8.14
एक महीने से अधिक लेकिन तीन महीने तक	4	622.67	81.80
तीन महीने से अधिक लेकिन छः महीने तक	5	168.40	18.99
कुल	**17**	**818.64**	**108.93**

यह भी देखा गया कि ऐसे करदाताओं की पहचान करने, जो अपने पंजीकरण के छः महीने के भीतर उच्च राशि वाले ई-वे बिल सृजित करते हैं, एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारियों को विवरण रिपोर्ट करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

अनुशंसा 2: विभाग उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल सृजित करने वाले लेकिन कर देयता का निर्वहन न करने वाले करदाताओं की पहचान करने एवं ऐसे करदाताओं की रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों को देने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024 एवं नवंबर 2024) कि एनआईसी इस मुद्दे पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार कर रहा है एवं क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारियों के साथ साझा कर रहा है। डीजीएआरएम भी उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल सृजित करने वाले एवं कर देयता का निर्वहन नहीं करने वाले करदाताओं पर रिपोर्ट तैयार करता है एवं क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ साझा करता है।

[15] इसमें शामिल मूल्यांकन योग्य मूल्य/राशि करदाताओं द्वारा ई-वे बिल में भरी गई जानकारी के अनुसार है।

मंत्रालय एनआईसी/डीजीएआरएम रिपोर्टों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करे।

(ग) पंजीकरण रद्द होने के बाद ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का भुगतान न होना / अल्प भुगतान होना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, ऐसे कर योग्य व्यक्ति के संबंध में जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, लेकिन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, सक्षम अधिकारी अपने विवेक के अनुसार ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 आयुक्तालयों से संबंधित 43 करदाताओं ने अपने पंजीकरण रद्द करने की प्रभावी तिथि के बाद अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 152.60 करोड़ की बाह्य् आपूर्ति करने के लिए ई-वे बिल सृजित किए थे। हालांकि, करदाता ₹ 23.56 करोड़ की कर देनदारी का निर्वहन करने में विफल रहे; जो ₹ 0.94 करोड़ के ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल एवं अगस्त 2023 के बीच), विभाग/मंत्रालय ने 16 आयुक्तालयों से संबंधित 23 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिसमें ₹ 22.32 करोड़ की राशि शामिल थी। इसके अलावा, छः मामलों के संबंध में, विभाग ने उत्तर दिया कि ई-वे बिल, निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद लेकिन पंजीकरण रद्द करने के आदेश जारी होने से पहले सृजित किए गए थे। इसलिए, कोई अनियमितता नहीं थी। उत्तर से पता चलता है कि पूर्वव्यापी तिथि के साथ निरस्तीकरण का आदेश पारित करना निरर्थक है क्योंकि व्यवसाय पहले की किया जा चुका था एवं यह ऐसे लेन-देन के लिए कर की मांग एवं वसूली के बारे में मौन था, जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया।

एक मामले के संबंध में, विभाग ने कहा कि करदाता को संबोधित पत्र प्राप्तकर्ता को नहीं पहुँचा एवं व्यवसाय के मुख्य स्थान पर भौतिक सत्यापन से पता चला कि ऐसा कोई करदाता नहीं था। विभाग ने आगे कहा कि मोबाइल नंबर के माध्यम से बुलाए जाने पर करदाता के बेटे द्वारा सूचित किया गया कि करदाता की मृत्यु हो गई थी एवं वह अपने पिता के व्यवसाय के बारे में नहीं जानता

था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग को मांग उठाने एवं कर संग्रह के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता थी।

शेष 13 मामलों के संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा थी (नवंबर 2024)।

दो उदाहरणात्मक मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

1. लुधियाना आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 03XXXXXXXXXX1Z1) ने 18 सितंबर 2020 को पंजीकरण लिया एवं इसे 21 सितंबर 2020 से स्वतः रद्द कर दिया गया। करदाता ने नवंबर 2020 की अवधि के दौरान ₹ 6.23 करोड़ की बाह्य् आपूर्ति के लिए 81 ई-वे बिल सृजित किए, जिसमें ₹ 1.04 करोड़ का कर शामिल था। हालाँकि, उसमे नवंबर 2020 के महीने के लिए जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की एवं इस प्रकार उस सीमा तक अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया।

इसके अलावा, दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 के महीनों के दौरान, करदाता ने ₹ 26.48 करोड़ की बाह्य् आपूर्ति से संबंधित 359 ई-वे बिल सृजित किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने इस अवधि के लिए अपने जी.एस.टी.आर.-1 में ₹ 26.67 करोड़ की बाह्य् आपूर्ति घोषित की थी। लेकिन उन्होंने इन महीनों के लिए भी जीएसटीआर-3बी विवरणियां दाखिल नहीं की।

इस प्रकार, करदाता ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 की अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की एवं ₹ 5.70 करोड़ की कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया, जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि करदाता को एससीएन जारी कर दिया गया था।

2. कोलकाता-उत्तर आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 19XXXXXXXXXX1Z0) ने 19 मार्च 2020 को पंजीकरण लिया; जिसे 1 अप्रैल 2020 से स्वत: रद्द कर दिया गया। हालांकि, करदाता ने अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान ₹ 28.84 करोड़ के 334 ई-वे बिल सृजित किए। करदाता ने दिसंबर 2020 तक अपनी जीएसटीआर-1 विवरणियां दाखिल की, केवल जीएसटीआर-3बी केवल मार्च 2020 के महीने के लिए दाखिल की।

परिणामस्वरूप, करदाता द्वारा ₹ 5.38 करोड़ के कर का भुगतान नहीं किया गया, जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि बकाया वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

अनुशंसा 3: विभाग, पूर्व प्रभावी रूप से पंजीकरण रद्द करने से पहले करदाता द्वारा सृजित किए गए ई-वे बिल पर विचार करने एवं जहां भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि अधिनियम में पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है यदि करदाता निर्दिष्ट अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है। अधिनियम में सक्षम अधिकारी द्वारा अपने पास उपलब्ध सभी सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक के अनुसार बकाया कर का आकलन करने के लिए कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। यह भी बताया गया कि इस संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश जारी किए गए थे (अक्टूबर 2024)।

(घ) एक ही बीजक का उपयोग करके कई ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का कम निर्वहन

सीजीएसटी नियमावली के नियम 46(बी) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कर बीजक जारी किया जाएगा जिसमें क्रमानुदेशित सीरियल नंबर होगा, जो सोलह अक्षरों से अधिक नहीं होगा, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय होगा।

एनआईसी द्वारा जारी उपयोगकर्ता मैनुअल के पैरा 5-1 के अनुसार, ई-वे बिल सृजित करते समय करदाता को माल से संबंधित दस्तावेज़ संख्या दर्ज करना आवश्यक है। दर्ज किया गया दस्तावेज़ नंबर अद्वितीय होना चाहिए।

बीजक संख्या आपूर्ति से संबंधित खेप के संबंध में दस्तावेज़ संख्या है। इसलिए, प्रत्येक बीजक[16] के आधार पर केवल एक ई-वे बिल सृजित करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 23 आयुक्तालयों से संबंधित 43 करदाताओं ने अप्रैल 2018 एवं मार्च 2022 के बीच की अवधि के दौरान एकल बीजक का उपयोग करके कई ई-वे बिल सृजित किए। करदाताओं ने 278 बीजकों के आधार पर 685 ई-वे बिल सृजित किए एवं गुणक या अनुपात 2 से 22 तक था। करदाताओं ने सभी खेपों का खुलासा करने के बजाय, या तो जीएसटीआर-1 विवरणी में एकल खेप की सूचना दी या उसमें किसी भी खेप की सूचना नहीं दी। इस प्रकार, विवरणियों में ₹ 22.75 करोड़ की कुल बिक्री की कम रिपोर्टिंग हुई एवं परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ की कर देनदारी का कम निर्वहन हुआ; जो ₹ 0.58 करोड़ के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

एकल/एक ही बीजक के आधार पर कई ई-वे बिल सृजित करना, ई-वे बिल सामान्य पोर्टल में समान/एक ही बीजक का उपयोग करके कई ई-वे बिल सृजित करने से रोकने के लिए सत्यापन की कमी को दर्शाता है।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल से अगस्त 2023 के बीच) विभाग/मंत्रालय ने 12 आयुक्तालयों से संबंधित 17 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिसमें ₹ 0.59 करोड़ की राशि शामिल थी। विभाग ने तीन मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को, यह कहते हुए कि दूसरा ई-वे बिल संबंधित परिवाहक द्वारा गलती से सृजित किया गया था स्वीकार नहीं किया। चूंकि दोनों ई-वे बिल सक्रिय थे एवं संबंधित प्रेषक द्वारा रद्द नहीं किए गए थे, इसलिए विभाग करदाता के तर्क की वास्तविकता की जांच करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक ही बीजक से माल की एक से अधिक बार आवाजाही नहीं हुई है।

एक मामले में, यह कहा गया कि ई-वे बिल करदाता कंपनी के विभिन्न प्रभागों द्वारा सृजित किए गए थे एवं प्रत्येक प्रभाग द्वारा बीजक को '1' से शुरू करने

---

[16] एकल बीजक पर आधारित कई खेपों के मामले में (सेमी नॉक्ड डाउन (एस.के.डी.) और कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (सी.के.डी.) स्थितियों में माल भेजने या एकल बीजक के तहत बड़ी मात्रा में माल की आपूर्ति के लिए) ऐसे प्रत्येक खेप के लिए ई-वे बिल अलग से तैयार किया जाएगा, जो खेप के उस हिस्से के लिए जारी डिलीवरी चालान पर आधारित होगा। प्रत्येक डिलीवरी चालान में विशेष बीजक का संदर्भ होना चाहिए।

की प्रथा थी। इस प्रथा के कारण विभिन्न प्रभागो द्वारा सृजित ई-वे बिलों में समान बीजक संख्या घोषित थी। हालांकि सभी बीजक जीएसटीआर-I में घोषित किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नियम 46(बी) के अनुसार कर बीजक में क्रमानुदेशित संख्याएँ होनी चाहिए। इसलिए करदाता के दावे की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग प्रासंगिक दस्तावेजों के संदर्भ में मामले की जांच करे।

एक अन्य मामले में, विभाग ने करदाता का उत्तर अग्रेषित किया जिसने दावा किया था कि गलती से कई ई-वे बिल उत्पन्न हो गए। विभाग राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करदाता के दावे की जांच करे। एक अन्य मामले के संबंध में, विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता के तर्क के अनुसार करदाता वाहनों का डीलर था एवं वाहनों को ई-वे बिल का उपयोग करके माल-ढुलाई परिवहन पर उप-डीलरों को हस्तांतरित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने माल-ढुलाई परिवहन लेन-देन को छोड़कर केवल विवरणियों में कर योग्य कुल बिक्री की कम रिपोर्टिंग की ओर संकेत किया। एक अन्य मामले के संबंध में, मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि विवरण लेखापरीक्षा को भेजे गए (अक्टूबर 2024)। हालांकि, यह पाया गया कि विवरण क्षेत्रीय दौरे के दौरान दस्तावेजों की मांग से संबंधित थे न कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से।

शेष 19 मामलों के संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा थी (नवंबर 2024)।

दो उदाहरणात्मक मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

1. सेलम आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 33XXXXXXXXXE1Z6) 1 जुलाई 2017 को पंजीकृत हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान 50 समान बीजकों का एक से अधिक बार उपयोग करके 191 ई-वे बिल सृजित किए। प्रत्येक बीजक के विरुद्ध ई-वे बिल की बहुलता 2 से 22 की सीमा-रेखा में है। 191 ई-वे बिल में से, 39 समान बीजकों का उपयोग करके ₹ 20.02 लाख के कर से जुड़े ₹ 3.50 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के साथ 146 ई-वे बिल सृजित किए गए। ₹ 96.52 लाख के निर्धारणीय मूल्य वाले इन 39 बीजकों को जीएसटीआर-1 में एक बार रिपोर्ट किया गया; इस प्रकार शेष 107 ई-वे बिल की रिपोर्ट नहीं की गई। इसके अलावा, 191 ई-वे बिल में से 45

ई-वे बिल जिनका कर निर्धारणीय मूल्य 1.17 करोड़ रुपये था एवं जिन पर संबंधित कर 8.14 लाख रुपये था, जिन्हें 11 बीजकों का उपयोग करके सृजित किया गया था, उन्हें एक बार भी जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट नहीं किया गया।

इस प्रकार, 152 ई-वे बिल के माध्यम से किए गए लेन-देन जिनका कर निर्धारणीय मूल्य 3.71 करोड़ रुपये था एवं जिन पर संबंधित कर 22.43 लाख रुपये था, उन्हें जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट नहीं किया गया; जिसके परिणामस्वरूप 22.43 लाख रुपये की कर देयता का कम निर्वहन हुआ। यह राशि 18.42 लाख रुपये के ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि कई ई-वे बिल सृजित होने के पीछे कारण थे (i) अलग-अलग स्थानों पर उनके प्रभागो द्वारा संख्याओं की एक ही श्रृंखला का उपयोग करके बीजक तैयार करना एवं बीजक संख्याओं के आगे अलग-अलग अक्षर जोड़कर जीएसटीआर-1 में सभी लेन-देन दर्ज करना। अन्य कारणों में खाली गैस सिलेंडर वापस करने, छूट प्राप्त माल को स्थानांतरित करने आदि के लिए ई-वे बिल सृजित करना शामिल था। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं, था क्योंकि नियम 46 (बी) में प्रावधान है कि कर बीजक में सोलह अक्षरों से अधिक नहीं की एक क्रमिक क्रम संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जीएसटीआर-1 में अक्षरों से पहले उनके नंबरों वाले बीजक वाले लेन-देन को शामिल करने पर विधिवत विचार किया। विभाग द्वारा वित्तीय लेखो जैसे भंडार लेखे, बाह्य आपूर्ति रजिस्टर, आगत आपूर्ति रजिस्टर आदि की जांच द्वारा करदाता के दावे की यथार्थता एवं विश्वसनीयता की जांच की आवश्कयता थी।

2. सेलम आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 33XXXXXXXXXP1Z6) 1 जुलाई 2017 को पंजीकृत हुआ। करदाता ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान 638 ई-वे बिल सृजित किये। सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने अप्रैल 2018 एवं मई 2018 के दौरान प्रत्येक बीजक का दो बार उपयोग करके 18 समान बीजकों का उपयोग करके 36 ई-वे बिल सृजित किये। 36 ई-वे बिल में से, 18 बीजक के आधार पर बनाए गए 18 ई-वे बिल को करदाता ने संबंधित महीनों के अपने जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किया एवं जीएसटीआर-3B के माध्यम से कर का भुगतान किया।

हालाँकि, ₹ 3.24 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य वाले शेष 18 ई-वे बिल से संबंधित लेन-देन जिसमें ₹ 16.18 लाख का कर शामिल था, जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट नहीं किए गए। इस प्रकार, करदाता ने ₹ 16.18 लाख की अपनी कर देयता का कम भुगतान किया, जो ₹ 14.07 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2023), विभाग ने करदाता का उत्तर (दिसंबर 2023) अग्रेषित किया, जिसमें कहा गया था कि परिवाहक ने बीच में वाहन बदलते समय नए ई-वे बिल सृजित किए थे। करदाता के दावे को सत्यापित करने के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखापरीक्षा के तर्क कि विभाग कई ई-वे बिल सृजित करने में एकल/समान बीजक के उपयोग को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करे, पर मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि एनआईसी पोर्टल में एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट उपलब्ध है; कर अधिकारी समान बीजक संख्या वाले ई-वे बिल मामलों पर रिपोर्ट देख सकते हैं एवं तदनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा, इन मामलों में ई-वे बिल के सृजित करने को रोकने के लिए पोर्टल में सख्त नियंत्रण बनाना उचित नहीं है क्योंकि जीएसटी नियम कुछ स्थितियों में, जैसे ऐसे माल जिसकी आपूर्ति खेप के रूप में होती हैं, कई ई-वे बिल के निर्माण की अनुमति देते हैं।

अनुशंसा 4: विभाग ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को सम्मिलित करे ताकि करदाता एवं विभागीय अधिकारी को एकल बीजक/समान बीजक के साथ कई ई-वे बिल के निर्माण पर सचेत किया जा सके।

(ङ) शून्य कर विवरणी दाखिल करने वाले के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का अनिर्वहन / अल्प निर्वहन

सीजीएसटी नियमावली के नियम 59 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के अनुसार नियमित करदाताओं को जीएसटीआर-1 में बाह्य् आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, सीजीएसटी नियमावली के नियम 61 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार, उन्हें जीएसटीआर-3बी में एक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें माल या सेवाओं या दोनों की आवक एवं जावक आपूर्ति,

प्राप्त आईटीसी, देय कर, भुगतान किए गए कर का विवरण घोषित किया जाता है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत, करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए एवं उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, 33 आयुक्तालयों के अंतर्गत आने वाले 71 करदाताओं ने ₹ 340.42 करोड़ की राशि के ई-वे बिल सृजित कर बाह्य् आपूर्ति की, जिसमें ₹ 50.41 करोड़ का कर शामिल था। हालांकि, करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-3बी विवरणियों में कुल बिक्री की रिपोर्ट नहीं की एवं उस पर कर देयता का निर्वहन करने में विफल रहे। वसूली योग्य कर की राशि ₹ 3.69 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 50.41 करोड़ थी।

ई-वे बिल लेन-देन की रिपोर्ट न करना यह दर्शाता है कि हालांकि ई-वे बिल पोर्टल को दिसंबर 2019 से जीएसटीएन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया, लेकिन ई-वे बिल करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणियों के साथ जुड़े नहीं थे। इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक), विभाग/मंत्रालय ने 33 आयुक्तालयों से संबंधित 43 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिसमें 33.28 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।

एक मामले में, विभाग ने जवाब दिया कि कुछ लेन-देन जॉब वर्क तथा एसईजेड को की गई आपूर्ति से संबंधित अन्य लेन-देन थे। इसलिए, कोई कर देयता नहीं थी। लेखापरीक्षा उत्तर को सत्यापित नहीं कर सकी क्योंकि सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। एक अन्य मामले के संबंध में, मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि विवरण सितंबर 2024 में लेखापरीक्षा को भेजे गए थे। हालांकि, यह पाया गया कि विवरण क्षेत्रीय दौरे के दौरान मांगे गए दस्तावेजों से संबंधित था न कि लेखापरीक्षा अभियुक्ति से।

शेष 26 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

निम्नलिखित पैराग्राफ में दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

1. भुवनेश्वर आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 21XXXXXXXXXX1ZU) 27 दिसंबर 2019 को पंजीकृत हुआ एवं 1 फरवरी

2020 से इसका पंजीकरण स्वतः रद्द कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने सितंबर 2020 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 44.02 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के साथ बाह्य् आपूर्ति के लिए 190 ई-वे बिल सृजित किए थे। हालांकि, करदाता ने जीएसटीआर-3बी में कुल बिक्री की रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उसने सितंबर 2019 से दिसंबर 2021 की अवधि के लिए शून्य विवरणियां दाखिल की एवं जनवरी 2022 एवं फरवरी 2022 के महीनों के लिए विवरणियां दाखिल नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 190 ई-वे बिल में शामिल बाह्य् आपूर्ति पर कर का भुगतान नहीं हुआ, जो ₹ 7.92 करोड़ था। इसे लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना था।

इसे इंगित किये जाने पर (मई, 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि करदाता को एससीएन जारी कर दिया गया है।

2. उत्तरी दिल्ली आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 07XXXXXXXXXX1ZC) 10 अगस्त 2017 को पंजीकृत हुआ एवं इसका पंजीकरण 10 अगस्त 2017 से स्वतः रद्द कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने जुलाई 2018 एवं अगस्त 2018 के महीनों के दौरान 132 ई-वे बिल के माध्यम से ₹ 22.85 करोड़ की बाह्य् आपूर्ति की थी। करदाता ने इन लेन-देन की सूचना जीएसटीआर-1 में दी; हालाँकि उसने शून्य बिक्री के साथ जीएसटीआर-3बी दाखिल किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि करदाता ने अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 की अवधि के लिए ₹ 6.89 करोड़ के कर मूल्य के साथ जीएसटीआर-1 दाखिल किया एवं इस प्रकार ₹ 6.89 करोड़ का आईटीसी जारी किया। हालांकि, करदाता ने पूरी अवधि (अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक) के लिए शून्य बिक्री के साथ जीएसटीआर-3B दाखिल किया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 की अवधि के लिए जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट की गई बाह्य् आपूर्ति पर कर का भुगतान नहीं किया गया, जो ₹ 6.89 करोड़ था। यह लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (मई, 2023) मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था।

(च) अन्य केपीए[17] के संबंध में करदाताओं द्वारा कर देयता का भुगतान न करना/अल्प-भुगतान

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 तथा सीजीएसटी नियमावली के नियम 59 के अनुसार, नियमित करदाताओं को जीएसटीआर-1 में बाह्य् आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 39 के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली के नियम 61 के अनुसार, उन्हें जीएसटीआर-3बी में विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्ति, प्राप्त आईटीसी, देय कर, भुगतान किए गए कर का विवरण घोषित करना होगा। सीजीएसटी नियमावली के नियम 62 के अनुसार, ऐसी आपूर्तियों का सारांश विवरण कंपोजिशन करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-4/सीएमपी-08 में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 53 आयुक्तालयों से संबंधित 174 करदाताओं ने अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 1,750.87 करोड़ की बाह्य् आपूर्ति की थी। संबंधित जीएसटी विवरणियों अर्थात जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के साथ बाह्य् आपूर्ति के विवरण की तुलना करने पर यह पाया गया कि करदाताओं ने इन आपूर्तियों पर कर देयता का भुगतान नहीं किया है। ₹ 168.06 करोड़ की कर राशि ₹ 9.29 करोड़ के ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक), विभाग/मंत्रालय ने 33 आयुक्तालयों से संबंधित 85 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिसमें ₹ 69.75 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।

दो मामलों में, विभाग ने उत्तर दिया कि लेन-देन माल की खरीद की वापसी से संबंधित थे। उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्य दो मामलों के संबंध में यह उत्तर दिया गया कि कर का कोई कम भुगतान नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि एक मामले में सितम्बर 2018 माह के लिए कर का

[17] परिशिष्ट-II में उल्लिखित विभिन्न केपीए से संबंधित, तालिका-2 में क्रम संख्या 1(क) से (ड़) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर इस श्रेणी के तहत शामिल किया गया था। इन करदाताओं के पास क्रम संख्या 1(क) से (ड़) पर केपीए पर भी अभ्युक्तियां हैं।

कम भुगतान किया गया था तथा दूसरे मामले में सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा, एक अन्य मामले में यह उत्तर दिया गया कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) बिक्री और करों से संबंधित लेनदेन का भुगतान टीआर-6 चालान के माध्यम से किया गया था। उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि कर के भुगतान के समर्थन में दस्तावेज सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

चार मामलों के संबंध में, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि विवरण लेखापरीक्षा को भेज दिया गया था। तथापि, यह पाया गया कि तीन मामलों के संबंध में, विवरण क्षेत्रीय दौरों के दौरान मांगे गए दस्तावेजों से संबंधित थे, न कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से तथा एक अन्य मामले के संबंध में विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

एक मामले के संबंध में, मंत्रालय का उत्तर नीचे उदाहरण (1) में विस्तृत रूप से दिया गया है।

शेष 79 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2024)।

नीचे दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

1. राउरकेला आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता (GSTIN 21XXXXXXXXXX1ZG) 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने जनवरी 2020 के महीने में एकल बीजक के प्रति 243 ई-वे बिल और अन्य बीजक के प्रति 77 ई-वे बिल सृजित किए, जिनका कुल निर्धारणीय मूल्य 386.66 करोड़ था, जिसमें जनवरी 2020 के ₹ 19.33 करोड़ शामिल थे। यह भी पाया गया कि करदाता ने जनवरी 2020 के महीने के लिए अपने जीएसटीआर-1 में दो चालानों द्वारा समर्थित दो लेनदेन से संबंधित ₹ 2.49 करोड़ की रिपोर्ट की, जिसमें ₹ 12.47 लाख का कर शामिल था और जीएसटीआर-3बी के माध्यम से कर का भुगतान किया। हालांकि, करदाता ने जीएसटीआर-1 में ₹ 384.17 करोड़ के कुल बिक्री वाले शेष 318 ई-वे बिल की रिपोर्ट नहीं की और परिणामस्वरूप ₹ 19.21 करोड़ की कर देयता का निर्वहन करने में विफल रहा; जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई, 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि करदाता ने रेलवे के माध्यम से दो प्राप्तकर्ताओं को दो बीजकों के आधार पर लौह अयस्क की आपूर्ति की। प्राप्तकर्ताओं ने करदाता द्वारा जारी किए गए बीजक का उपयोग करके माल को विभिन्न डीलरों तक पहुंचाया और इसमें कोई कर अपवंचन नही हुआ। जैसा कि उत्तर से पता चला, माल को रेलवे के स्थान से माल प्राप्तकर्ताओं द्वारा ले जाया गया और बाद में सड़क मार्ग से कई करदाताओं तक पहुंचाया गया। हालाँकि, ई-वे बिल करदाता द्वारा जारी किए गए बीजक का उपयोग करके सृजित किए गए थे। चूंकि बाद की आपूर्तियां भी कर योग्य थीं, इसलिए विभाग को बाद की आपूर्तियों पर कर देयता का निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच करने और सहायक दस्तावेजों के साथ लेखापरीक्षा को सूचित करने की आवश्यकता है।

2. दिल्ली पश्चिम आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता (GSTIN 07XXXXXXXXXX1Z9) ने 2 फरवरी 2019 को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराया और उनका पंजीकरण 16 अगस्त 2019 को स्वतः रद्द कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उन्होंने मई 2019 के दौरान जारी किए गए बीजकों के लिए जून 2019 के महीने में ₹ 15.15 करोड़ के कर सहित ₹ 83.00 करोड़ के 20 ई-वे बिल सृजित किए थे। हालाँकि, जैसा कि सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी प्रणाली से देखा गया, करदाता ने जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी केवल अप्रैल 2019 तक ही दाखिल किया; लेकिन उसके बाद उन्हें दाखिल नहीं किया। इस प्रकार, करदाता ₹ 15.15 करोड़ की कर देयता का भुगतान करने में विफल रहा। इसे इंगित किये जाने पर (मई, 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि कारण बताओ नोटिस जारी करना प्रक्रियाधीन है।

(ii) ई-वे बिल सृजित करने के लिये जोखिम भरे वाहनों का उपयोग

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपरोक्त 174 करदाताओं में से, 23 आयुक्तालयों से संबंधित 35 करदाताओं ने माल के परिवहन के लिए जोखिम भरे वाहनों (वाहन डेटाबेस से पहचाने गए वाहन, चोरी के वाहन, निलंबित वाहन, समर्पित वाहन, कबाड़ वाहन, आरसी रद्द वाहन और दो पहिया वाहन) का उपयोग किया था। यद्यपि, ई-वे बिल प्रणाली को वाहन डाटाबेस के साथ एकीकृत किया गया

है, फिर भी यह प्रणाली की पहचान करने ई-वे बिल के निर्माण और ऐसे वाहनों द्वारा माल के परिवहन के लिए ऐसे वाहनों के उपयोग एवं रोकने में असमर्थ रही।

इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2023 और सितम्बर 2023 के मध्य) तथा उत्तर प्रतीक्षित था। (नवंबर 2024)

4.1.3 ई-वे बिल आंकडों के विश्लेषण के माध्यम से पहचान की गई विसंगतियां

लेखापरीक्षा ने केपीए के आधार पर अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान उत्पन्न ई-वे बिल पर आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि कुछ केपीए के संबंध में करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में विसंगतियों का सीधे पता लगाया जा सकता था। व्यापक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए नमूनों को छोड़कर इन केपीए के अंतर्गत निकाले गए आंकड़े, जुलाई और अगस्त 2023 के बीच की अवधि के दौरान विभाग को आगे की सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए भेज दिए गए थे। इन अभ्युक्तियों में शामिल मुद्दों की जांच नमूना करदाताओं की व्यापक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा द्वारा भी की गई है और अभ्युक्तियों को पैराग्राफ 4.2.2 (क) से (घ) में शामिल किया गया है।

विभाग के साथ साझा की गई अभ्युक्तियों का विवरण निम्नलिखित **तालिका-5** में दर्शाया गया है:

तालिका-5: आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से चिन्हित अभ्युक्तियों का विवरण

क्रम सं.	अभ्युक्तियों की प्रकृति	करदाताओं की संख्या (टीपी)	ई-वे बिलों की संख्या
1	कंपोजिशन करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय ई-वे बिलों को सृजित करना	2,585	41,524
2	निर्धारित सीमा पार कर चुके कंपोजिशन करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों को सृजित करना	59	9,168
3	जीएसटी विवरणियां दाखिल न करने वालों द्वारा ई-वे बिलों को सृजित करना	38,758	7,77,684
4	अस्वीकृत करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों को सृजित करना	6,657	2,56,357
5	एक ही बीजक का उपयोग करके कई ई-वे बिलों को सृजित करना	88,235	4,15,400

अभ्युक्तियां विभाग को, सत्यापन तथा उनके स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त उत्तर देने हेतु भेजी गई (जुलाई और अगस्त 2023)। सारांश उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)। विभाग प्रणाली स्तर पर इन मुद्दों को हल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई भी करे।

4.1.4 करदाताओं के एक समूह द्वारा कुल बिक्री का जानबूझकर छिपाव

सेलम आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 33XXXXXXXXXX1ZW) के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने शुरू में पाया कि करदाता ने चार व्यापारियों के साथ लेन-देन किया था और उनमें से एक व्यक्ति[18] विशिष्ट (दिल्ली में स्थित एक ही पैन पंजीकरण वाला व्यक्ति) था। लेखापरीक्षा ने इन पांचों मामलों में उनके द्वारा निपटाए गए वस्तुओं की प्रकृति और उनके विवरणियां दाखिल करने के पैटर्न के संबंध में समानताएं देखीं। यद्यपि उन्होंने बाह्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित किए, लेकिन वे विवरणियां दाखिल करने में चूक गए और सभी करदाताओं के पंजीकरण संबंधित क्षेत्राधिकारियों द्वारा स्वतः रद्द कर दिए गए। चूंकि लेखापरीक्षा ने इन सभी पांच मामलों में कर का अपवंचन देखा, इसलिए लेखापरीक्षा ने इन सभी पांच करदाताओं से संबंधित ई-वे बिल द्वारा समर्थित सभी आवक और जावक लेनदेन का विश्लेषण किया, जिससे अन्य करदाताओं की पहचान हुई जिनके साथ उन्होंने लेनदेन किया था। इस प्रक्रिया में, लेखापरीक्षा इस आपूर्ति श्रृंखला में शामिल, संघ और राज्य सरकारों के विभिन्न क्षेत्राधिकार नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले 26 करदाताओं की पहचान कर सकी, जो अपनी कर देयता का भुगतान करने में विफल रहे।

उपरोक्त 26 करदाताओं के जीएसटी पंजीकरण और विवरणियां दाखिल करने की स्थिति के विश्लेषण से निम्नलिखित विवरण सामने आए, जैसा कि **तालिका-6** में दिया गया है:

[18] सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 के अनुसार, एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्यवसाय के कई स्थानों वाले व्यक्ति को व्यवसाय के प्रत्येक ऐसे स्थान के लिए एक अलग पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जा सकती हैं और ऐसे व्यक्ति को, प्रत्येक ऐसे पंजीकरण के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा।

तालिका-6: करदाताओं के प्रोफाइल और उनके विवरणियां दाखिल करने के पैटर्न का विश्लेषण

क्रम सं.	विवरण	करदाताओं की संख्या
1	एक ही पैन से एक से अधिक पंजीकरण होना	16 (8 करदाताओं में से प्रत्येक के पास दो पंजीकरण थे)
2	सक्रिय पंजीकरण अवधि	
	< एक माह	6
	एक माह से तीन माह	3
	> तीन माह से एक वर्ष	9
	>1 साल	8
3	व्यवसाय का स्थान जिसका पता समान हो	3 करदाताओं का एक ही पता
4	विवरणी दाखिल करना	
	विवरणी दाखिल न करने वाले	15
	प्रारम्भ में विवरण दाखिल किया गया लेकिन तदनंतर दाखिल नहीं किया गया	3

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित बिंदु ध्यान में आए:

- आठ करदाताओं ने एक ही पैन के साथ दो अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दो पंजीकरण कराए थे।
- तीन करदाता एक ही पते से काम कर रहे थे।
- 18 करदाताओं के पास एक वर्ष से कम अवधि के लिए वैध पंजीकरण था; जिनमें से छः करदाताओं का पंजीकरण एक महीने के भीतर रद्द कर दिया गया।
- 15 करदाताओं ने किसी भी अवधि के लिए विवरणियां दाखिल नहीं की, जबकि 3 करदाताओं ने अपने पंजीकरण की प्रारंभिक अवधि के दौरान विवरणियां दाखिल की, लेकिन बाद में विवरणियां दाखिल करने में विफल रहे, हालांकि उन्होंने लेनदेन किया था।

उपरोक्त निष्कर्ष कर अपवंचन में आपस में संभावित मिलीभगत के भारी जोखिम की ओर दृढ़ता से इशारा करते हैं। इन 26 करदाताओं में से 18 करदाता केंद्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं और शेष आठ करदाता राज्य/संघ राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और इनका विवरण नीचे दिया गया है:

ये 26 करदाता दो सीबीआईसी जोन और तीन राज्य क्षेत्राधिकारों से संबंधित हैं; जिनका विवरण नीचे **तालिका-7** में दिया गया है:

तालिका-7: करदाताओं का क्षेत्राधिकार विवरण

क्रम सं.	क्षेत्राधिकार	करदाताओं की संख्या
सीबीआईसी क्षेत्राधिकार		
1	चैन्नई क्षेत्र	10
2	दिल्ली क्षेत्र	8
राज्य/संघ राज्य क्षेत्राधिकार		
3	तमिलनाडू	2
4	पुदुचेरी	2
5	दिल्ली	4
	कुल	**26**

26 करदाताओं में से 18 करदाता दो जोन (तीन आयुक्तालयों)[19] के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित थे। इन 18 करदाताओं से संबंधित कर अनुपालन में विसंगतियों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(i) कर देयता का अनिर्वहन /अल्प निर्वहन

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 तथा सीजीएसटी नियमावली के नियम 59 के अनुसार, नियमित करदाताओं को जीएसटीआर-1 में बाहय् आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 39 और सीजीएसटी नियमावली के नियम 61 के अनुसार, उन्हें जीएसटीआर-3बी में विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्ति, प्राप्त आईटीसी, देय कर, भुगतान किए गए कर का विवरण घोषित करना होगा।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि तीन आयुक्तालयों से संबंधित इन 18 करदाताओं ने मार्च 2019 से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान ₹ 168.21 करोड़ मूल्य की बाहय् आपूर्ति के संबंध में 3,137 ई-वे बिल सृजित किए थे। इन बाहय् आपूर्तियों के संबंध में उपकर सहित कर की राशि ₹ 81.11 करोड़ है। हालांकि, करदाता या तो विवरणियां दाखिल करने में असफल रहे और उस अवधि के लिए कर का भुगतान नहीं किया जिसके लिए उन्होंने ई-वे बिल सृजित किया था या फिर उन्होंने अपने द्वारा दाखिल विवरणियों में बाहय् आपूर्ति के मूल्य को कम दर्शाया था। परिणामस्वरूप कुल बिक्री की रिपोर्टिंग न

[19] दिल्ली उत्तर, पुडुचेरी और सेलम।

करने/कम रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप ₹ 81.11 करोड़ की कर देयता का अनिर्वहन/कम निर्वहन हुआ, जो ₹ 45.19 करोड़ के ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2023), विभाग/मंत्रालय ने दो आयुक्तालयों से संबंधित 11 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिनमें 85.57 करोड़ की राशि शामिल थी। एक मामले के संबंध में, विभाग ने उत्तर दिया कि एक कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका था और बाद में इसे अधिनिर्णीत भी किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने निर्णय आदेश में पाया कि कारण बताओ नोटिस को यह कहते हुए हटा दिया गया था कि मामले को अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसी द्वारा संभाला जाना आवश्यक था क्योंकि जांच के क्षेत्र पुडुचेरी सीजीएसटी आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र से परे काफी व्यापक थे। विभाग को तदनुसार कार्रवाई करनी होगी और लेखापरीक्षा को सूचित करना होगा।

शेष छः मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)

एक उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

सेलम आयुक्तालाय के अंतर्गत आने वाले एक करदाता (जीएसटीआईएन 33XXXXXXXXXX1ZW) ने 6 जुलाई 2019 को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया और उसका पंजीकरण 14 नवंबर 2019 से रद्द कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उन्होंने अगस्त 2019 से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान 187 ई-वे बिल के माध्यम से बाह्य् आपूर्ति की थी, जिसका निर्धारणीय मूल्य ₹ 12.07 करोड़ था, जिसमें ₹ 7.33 करोड़ (उपकर सहित) का कर शामिल था।

हालाँकि, करदाता ने केवल अगस्त 2019 महीने के लिए जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल की और जीएसटीआर-3बी में ₹ 8.82 करोड़ का टर्नओअर दर्ज किया, जिसमें 130 ई-वे बिल द्वारा कवर किए गए लेनदेन शामिल थे, जिनका निर्धारणीय मूल्य ₹ 8.55 करोड़ था। इसके बाद उन्होंने जीएसटीआर-3बी विवरणियां दाखिल नहीं की। इस प्रकार, सितंबर और अक्टूबर 2019 के लिए विवरणियां दाखिल न करने के परिणामस्वरूप 57 ई-वे बिल द्वारा कवर किए गए लेनदेन की रिपोर्टिंग नहीं हुई, जिसमें ₹ 3.53 करोड़ की कुल बिक्री शामिल

थी और परिणामस्वरूप ₹ 5.79 करोड़ की राशि के कर (उपकर सहित) का भुगतान नहीं किया गया, जो कि ₹ 3.59 करोड़ के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इस बात को विभाग/मंत्रालय के समक्ष लाया गया (अगस्त 2023/जुलाई 2024), उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

(ii) जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के बीच आईटीसी का मिलान न होना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, उसे दी गई किसी भी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स (आईटीसी) का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के क्रम में या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया जाना है तथा उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर दी जाएगी।

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 36 के अनुसार, आईटीसी का लाभ केवल निश्चित दस्तावेजों के आधार पर ही लिया जा सकेगा और निर्धारित दस्तावेजों में से एक माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी बीजक है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 तथा सीजीएसटी नियमावली के नियम 59 के अनुसार, कंपोजिशन करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाह्य् आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेलम आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले एक करदाता (जीएसटीआईएन 33XXXXXXXXXX1ZW) ने अगस्त 2019 महीने के लिए दाखिल जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 7.23 करोड़ का आईटीसी प्राप्त किया था। करदाता ने आईटीसी का उपयोग करके अगस्त 2019 माह के लिए ₹ 1.59 करोड़ की कर देयता का भुगतान किया। हालाँकि, महीने के लिए जीएसटीआर-2ए से प्राप्त आईटीसी का पात्र दावा ₹ 84.27 लाख था। इस प्रकार, करदाता ने जीएसटीआर-2ए में प्रयुक्त आईटीसी की तुलना में ₹ 6.39 करोड़ अधिक आईटीसी का दावा किया था। इस विसंगति की जांच की जानी आवश्यक थी, और अतिरिक्त आईटीसी यदि कोई हो, को करदाता से लागू ब्याज सहित

वसूल किया जाना था। इस बात की ओर विभाग/मंत्रालय को अवगत कराया गया (अगस्त 2023/जुलाई 2024)। उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करदाताओं के संबंध में, संबंधित राज्य लेखा कार्यालयों द्वारा राज्य प्राधिकारियों के समक्ष मामला उठाया गया। चूंकि इन लेन-देनों में बहु-क्षेत्राधिकार वाले करदाता शामिल हैं, इसलिए विभाग इस आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी करदाताओं की पहचान करने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए मामले की जांच कर सकता है।

(iii) प्रतिबंधित उत्पादों की आवाजाही

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत पांच करदाताओं द्वारा दिल्ली से तमिलनाडु/पुडुचेरी ले जाई गई प्रमुख वस्तुएं तंबाकू से संबंधित उत्पाद थे। यहां यह बताना उचित होगा कि गुटखा, पान-मसाला और तंबाकू युक्त अन्य खाद्य उत्पाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं। इससे पता चलता है कि ई-वे बिल प्रणाली में प्रतिबंधित वस्तुओं की ढुलाई को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

अनुशंसा 5: विभाग ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करे, ताकि जब भी प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल सृजित किया जाए, तो करदाताओं को सचेत किया जा सके।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि ई-वे बिल के माध्यम से प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति को रोकने के लिए कोई मान्यकरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि आंकड़ें राज्य दर राज्य अलग-अलग है यानी गुटखा, पान मसाला केवल कुछ राज्यों में प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, ई-वे बिल को अवरुद्ध करने से गुप्त रूप से गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो राजस्व के लिए हितकर नहीं होगा।

विभाग, प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही के लिए जब भी ई-वे बिलों को सृजित करे, तो कर अधिकारियों और करदाताओं को अलर्ट जारी करने पर विचार करे।

4.1.5 आईटीसी का लाभ उठाने में पाई गई विसंगतियां

(क) आईटीसी का लाभ उठाने में मिलान न होना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को उसके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर आईटीसी लेने का अधिकार होगा, जो उसके व्यवसाय के क्रम में या उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं या उपयोग किए जाने का इरादा है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी।

ई-वे बिल प्रणाली की जांच के लिए चयनित करदाताओं की लेखापरीक्षा के दौरान, नमूना करदाताओं के संबंध में आईटीसी के लाभ की शुद्धता की भी जांच की गई। जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 के अनुसार आईटीसी का दावा जीएसटीआर-2ए विवरणियों के अंतर्गत उपलब्ध आईटीसी के साथ सहसंबंधित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 28 आयुक्तालयों से संबंधित 72 करदाताओं ने ₹ 1,357.89 करोड़ का लाभ उठाया था; जबकि जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 1,202.48 करोड़ थी। इस प्रकार, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-3बी के माध्यम से प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान नहीं था। विसंगति की राशि ₹ 155.41 करोड़ है। विभाग विवरण की पुष्टि करे और दावा किए गए अतिरिक्त आईटीसी, यदि कोई हो, को लागू ब्याज सहित वसूल करे।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2023 और सितंबर 2023 के बीच), विभाग/मंत्रालय ने 25 आयुक्तालयों से संबंधित 44 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिनमें 99.76 करोड़ की राशि शामिल थी। दो मामलों के संबंध में विभाग/मंत्रालय ने उत्तर दिया कि आईटीसी दावे में कोई विसंगति नहीं थी। हालाँकि, एक मामले के संबंध में दावे को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे और दूसरे के संबंध में, करदाता द्वारा प्रदान किए गए समाधान विवरण से यह पाया गया कि जीएसटीआर-2ए की तुलना में 15.85 लाख का अधिक आईटीसी दावा किया गया था। एक अन्य मामले के संबंध में, विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता के तर्क के अनुसार आईटीसी का कोई अतिरिक्त दावा नहीं था। विभाग प्रासंगिक

दस्तावेजों के साथ करदाता के तर्क की जांच करे और सहायक दस्तावेजों के साथ जांच के परिणाम को अग्रेषित करे।

शेष 25 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

दो उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

1. दिल्ली उत्तर आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 07XXXXXXXXX1ZP) ने 14 सितंबर 2018 को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराया और 13 फरवरी 2019 को किए गए व्यावसायिक परिसर के भौतिक सत्यापन के आधार पर 13 फरवरी 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 3 मई 2021 को उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 7.30 करोड़ का आईटीसी दावा किया था। हालाँकि, इसी अवधि के लिए उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 45 लाख जीएसटीआर-2ए थी। इस प्रकार, जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी और करदाता द्वारा दावा किए गए आईटीसी के मध्य मिलान न हुई राशि ₹ 6.85 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि व्यावसायिक परिसर का भौतिक सत्यापन 13 फरवरी 2019 को किया गया था और उसके आधार पर करदाता का पंजीकरण 3 मई 2021 को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वतः रद्द कर दिया गया था। हालांकि, भौतिक सत्यापन और पंजीकरण रद्द करने की मध्यवर्ती अवधि के दौरान, करदाता ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 14.49 करोड़ का आईटीसी लाभ लिया था; हालाँकि जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 13.73 लाख थी। इस प्रकार, जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी और करदाता द्वारा दावा किए गए आईटीसी के बीच ₹ 14.36 करोड़ का अंतर था। कुल मिलाकर, 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के लिए प्राप्त आईटीसी और उपलब्ध आईटीसी के बीच ₹ 21.21 करोड़ की राशि का मिलान नहीं हुआ, जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि कारण बताओ नोटिस जारी करना प्रक्रियाधीन है।

2. दिल्ली पूर्व आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 07XXXXXXXXXX1ZY) 7 मार्च 2020 को पंजीकृत हुआ और उसका पंजीकरण 7 मार्च 2020 से ही स्वतः रद्द कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने 2020-21 की अवधि के दौरान जीएसटीआर-3बी के माध्यम से 17.13 करोड़ का आईटीसी का दावा किया था। हालांकि, इसी अवधि के लिए जीएसटीआर-2ए से देखा गया कि उपलब्ध आईटीसी शून्य था। इस प्रकार, करदाता ने जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना में ₹ 17.13 करोड़ का अधिक आईटीसी का दावा किया था। इस विसंगति की जांच की जानी आवश्यक थी, और अतिरिक्त आईटीसी, यदि कोई हो, को करदाता से लागू ब्याज सहित वसूल किया जाना था। इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई, 2023) मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि मामले की आगे जांच की जा रही थी तथा कार्रवाई की जा रही थी।

(ख) अपात्र आईटीसी का लाभ उठाना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(2)(सी) के अनुसार, आईटीसी तब तक अर्ह नहीं है जब तक कि संबंधित आपूर्ति के संबंध में लगाया गया कर वास्तव में सरकार को भुगतान नहीं किया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो आयुक्तालयों के दो करदाताओं ने जुलाई 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 1.46 करोड़ के आईटीसी का दावा किया था, हालांकि, करदाताओं के आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी विवरणियां दाखिल नहीं की थी और इस प्रकार बाह्य् आपूर्ति पर कर का भुगतान नहीं किया था। चूंकि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सरकार को आपूर्ति पर कर का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए करदाता ₹ 1.46 करोड़ के आईटीसी का दावा करने के पात्र नहीं थे। ₹ 1.46 करोड़ की अनुचित आईटीसी ₹ 0.17 करोड़ के ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2023 और जून 2023), विभाग ने दोनों मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जो दो आयुक्तालयों से संबंधित थे, जिनमें ₹ 1.64 करोड़ की राशि शामिल थी।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

कोयंबटूर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन 33XXXXXXXXXX1Z7) ने 22 नवंबर 2021 को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराया और उसका पंजीकरण 23 नवंबर 2022 से स्वतः रद्द कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने ₹ 1.58 करोड़ की आईटीसी का दावा किया था और दिसंबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए अपनी कर देयता के प्रति ₹ 1.58 करोड़ की आईटीसी को समायोजित किया था। आगे सत्यापन पर यह पाया गया कि ₹ 1.58 करोड़ के आईटीसी दावे में से, ₹ 1.31 करोड़ एकल आपूर्तिकर्ता, करदाता, (जीएसटीआईएन 33XXXXXXXXXX1ZX) द्वारा पारित आईटीसी से संबंधित थे, जिसका पंजीकरण जीएसटीआर-2ए में इनपुट के बिना जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के कारण 1 सितंबर 2021 से रद्द कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, उनके द्वारा पारित आईटीसी अवैध हो गई। आपूर्तिकर्ता ने नवंबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान केवल आईटीसी के माध्यम से ₹ 3.53 करोड़ की अपनी संपूर्ण कर देयता का भुगतान किया था। इस प्रकार, करदाता द्वारा प्राप्त ₹ 1.31 करोड़ की आईटीसी अनुचित थी, जिसे लागू ब्याज सहित वापस किया जाना था। इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2023), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अक्टूबर 2024) को स्वीकार कर लिया और कहा कि करदाता फर्जी इकाई है और राजस्व की सुरक्षा के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना प्रक्रियाधीन था।

4.1.6 विविध मामले

(i) अनियमित आईटीसी की अस्वीकृति के लिए जारी सतर्कता परिपत्रों पर कार्रवाई शुरू न करना

कोलकाता उत्तर आयुक्तालय से संबंधित दो नमूना करदाताओं के संबंध में कर अनुपालन के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयुक्तालय ने भौतिक सत्यापन के दौरान पहले ही इन दो करदाताओं की अस्तित्वहीनता को पहचान लिया था और दोनों करदाताओं ने 2018-19 और 2019-20 की अवधि के दौरान अपने प्राप्तकर्ताओं को ₹ 26.36 करोड़ का आईटीसी जारी कर दिया था। इस संबंध में, आयुक्तालय ने इन दोनों करदाताओं द्वारा पारित आईटीसी के संबंध

में क्षेत्राधिकारियों को 'सतर्कता परिपत्र'[20] जारी किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन चेतावनी परिपत्रों पर कोई आगे कार्यवाही नहीं हुई।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

कोलकाता उत्तर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता (जीएसटीआईएन 19XXXXXXXXXX1Z9) के मामले में, यह देखा गया कि करदाता ने लागू कर का भुगतान किए बिना वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कर योग्य आपूर्ति की थी। विभाग ने नवंबर 2019 में भौतिक सत्यापन किया और पाया कि करदाता अस्तित्व में नहीं है। विवरणियां दाखिल न करने के कारण 16 दिसंबर 2019 को करदाता का पंजीकरण स्वतः रद्द कर दिया गया था। इसके बाद, विभाग ने फरवरी 2020 में एक 'सतर्कता परिपत्र' जारी किया, जिसमें 172 प्राप्तकर्ताओं को सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने उक्त करदाता से माल की आपूर्ति के बिना बीजक प्राप्त किए थे और संबंधित क्षेत्राधिकारियों को अनियमित आईटीसी की वसूली के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा। 'सतर्कता परिपत्र' के अनुसार करदाता द्वारा धोखाधड़ी से पारित कुल आईटीसी ₹ 19.03 करोड़ थी। उपरोक्त 172 करदाताओं में से 30 प्राप्तकर्ता, जिन्होंने ₹ 1.82 करोड़ का आईटीसी प्राप्त किया था, स्वयं कोलकाता उत्तर आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में थे। हालांकि, करदाताओं द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दावा किए गए आईटीसी की वसूली के लिए प्राप्त चेतावनी सूचना पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। (जुलाई 2023)।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2024), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि करदाताओं से माल की आपूर्ति के बिना बीजक प्राप्त करने वाले 172 प्राप्तकर्ताओं में से, 11 करदाता कोलकाता उत्तर आयुक्तालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इन 11 मामलों में से तीन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका था। अन्य मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

[20] कोलकाता उत्तर आयुक्तालय द्वारा संबंधित जीएसटी आयुक्तालयों/इकाइयों को जारी आंतरिक संचार।

(ii) करदाताओं द्वारा असामान्य रूप से उच्च मूल्य के ई-वे बिल सृजित किए गए

आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से, लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 आयुक्तालयों से संबंधित 19 करदाताओं ने असामान्य रूप से बहुत अधिक कर निर्धारणीय मूल्य वाले 42 ई-वे बिल सृजित किए थे, अर्थात इनका मूल्य ₹ 10,000 करोड़ से अधिक था। असामान्य रूप से उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल के सृजित किए जाने की रिपोर्ट विभाग को (मई से अगस्त 2023 तक) दी गई, ताकि उसमें उल्लिखित 'निर्धारणीय की सत्यता का पता लगाया जा सके।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग/मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 और अक्टूबर 2024 के बीच) कि आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटि के कारण 19 ई-वे बिल में निर्धारणीय मूल्य गलत दर्शाया गया है। शेष 23 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

हैदराबाद आयुक्तालय से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 36XXXXXXXXXX1ZT) ने उच्च राशि वाले पांच ई-वे बिल सृजित किए; जिनमें से एक ई-वे बिल (सं.121446807120, दिनांक 10 मार्च 2022) ₹ 7,97,90,480.32 करोड़ (₹ 79,79,04,80,32,54,452) की बाह्य् आपूर्ति के लिए सृजित किया गया था। चूंकि ई-वे बिल का मूल्य असामान्य रूप से अधिक था, इसलिए मामले की जांच के लिए विभाग को इसकी ओर इंगित किया गया (मई 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023), कि यह ई-वे बिल बिल पोर्टल में मूल्य दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटि के कारण हुआ था। उत्तर से पता चलता है कि ऐसी आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में कोई सत्यापन नियंत्रण नहीं है।

अनुशंसा 6: विभाग ई-वे बिल में असामान्य उच्च मूल्य और असंगत आंकड़ों की चेतावनी देने/रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि चेतावनी संदेश तब प्रदान किए जाते हैं जब ₹ 10 करोड़ से अधिक मूल्य के ई-वे बिल सृजित किए जाते हैं।

करदाताओं को उनके जीएसटीआईएन में आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के रूप में उत्पन्न ई-वे बिल के विवरण पर एसएमएस संदेश प्राप्त होते हैं। असामान्य उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल के संबंध में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी कर अधिकारी को उपलब्ध है।

अध्याय 5: विभाग के निवारक कार्य

आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी किसी भी अधिकारी को ई-वे बिल का सत्यापन करने के लिए किसी भी वाहन को रोकने के लिए अधिकृत कर सकता है। सीबीआईसी ने ई-वे बिल से संबंधित अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर माल की आवाजाही के दौरान निरीक्षण के लिए वाहनों को रोकने, माल एवं वाहनों को रोकने, छोड़ने एवं जब्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत निर्देश[21] जारी किए थे।पारगमन में माल के प्रत्येक निरीक्षण की सारांश रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के 24 घंटे के भीतर फॉर्म ईडब्ल्यूबी-03 के भाग ए में ऑनलाइन दर्ज की जाएगी एवं फॉर्म ईडब्ल्यूबी-03 के भाग बी में अंतिम रिपोर्ट ऐसे निरीक्षण के तीन दिनों के भीतर दर्ज की जाएगी।

एक बार किसी वाहन पर परिवहन किए जा रहे माल का भौतिक सत्यापन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर या किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एक स्थान पर पारगमन के दौरान किया गया है, तो उक्त वाहन का राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में फिर से कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा, जब तक कि कर अपवंचन से संबंधित कोई विशिष्ट सूचना बाद में उपलब्ध नहीं करा दी जाती है। जहां एक वाहन को तीस मिनट से अधिक की अवधि के लिए रोका एवं हिरासत में रखा गया हो, ट्रांसपोर्टर उक्त सूचना को सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04 में अपलोड करेगा।

लेखापरीक्षा ने इस बात की समीक्षा करने की मांग की कि क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक गतिविधियां कुशल एवं प्रभावी थीं। इस प्रयोजनार्थ, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 58 आयुक्तालयों, जो निवारक इकाइयों का 50 प्रतिशत थे, को स्तरीकृत नमूना पद्धति पर नमूने के रूप में लिया गया था।

---

[21] परिपत्र संख्या 41/15/2018-जीएसटी दिनांक 13 अप्रैल 2018, 49/23/2018-जीएसटी दिनांक 21 जून 2018 एवं 64/38/2018-जीएसटी दिनांक 14 सितंबर 2018।

5.1 ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता एवं प्रभावशीलता

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देते हुए केंद्रीय कार्यालयों की निवारक इकाइयों के ई-वे बिल संबंधित कार्यों की जांच की (i) परिचालन तैयारी, (ii) अपवंचन-रोधी उपायों की प्रभावशीलता एवं (iii) ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय। इस उद्देश्य के लिए, लेखापरीक्षा ने 58 आयुक्तालयों की निवारक इकाइयों का चयन किया। सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने निवारक स्कन्धों की गतिविधियों में कई कमियां देखीं; जिनका विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है:

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68(1) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट राशि से अधिक मूल्य के माल की खेप ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति को इस संबंध में निर्धारित दस्तावेज एवं उपकरण अपने साथ रखने होंगे। पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) के अनुसार, जहां ऊपर उल्लिखित किसी भी वाहन को सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर रोका जा सकता है एवं वह सत्यापन के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए वाहन के प्रभारी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है, एवं उक्त व्यक्ति दस्तावेजों को प्रस्तुत करने एवं माल के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए उत्तरदायी होगा।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 में पारगमन में माल एवं वाहनों को रोकने, जब्त करने एवं छोड़ने का प्रावधान है, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी माल का परिवहन करता है। सीजीएसटी नियमावली के नियम 138 के अनुसार, माल के परिवहन के मामले में माल की आवाजाही शुरू होने से पहले एक ई-वे बिल को सृजित करना आवश्यक है।

ई-वे बिल के सत्यापन के लिए, सीबीआईसी ने 2018 के परिपत्र संख्या 41, 49 एवं 64 के अंतर्गत निर्देश जारी किए थे, जिसमें माल के निरीक्षण के लिए वाहनों के अवरोधन की प्रक्रिया एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

5.1.1 विभाग की परिचालनात्मक तैयारी

निवारक कार्य की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने समर्पित निवारक व्यवस्था, श्रमशक्ति की पर्याप्तता, गश्त वाहनों की पर्याप्तता एवं वाहनों के अवरोधन एवं पारगमन के दौरान ई-वे बिल की जांच के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियों के संबंध में विभाग की तैयारियों की जांच की। निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

5.1.1.1 समर्पित ढाँचा/इकाई

ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों, जैसे वाहनों के अवरोधन के दौरान ई-वे बिल का सत्यापन एवं जहां भी आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई, ई-वे बिल सत्यापन की योजना बनाने में ई-वे बिल विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग करना आदि के लिए एक समर्पित इकाई, निवारक कार्यों की दक्षता में सुधार कर सकती है। जब 58 चयनित आयुक्तालयों से समर्पित ढाँचा/यूनिट के अस्तित्व की स्थिति के बारे में विवरण मांगा गया, तब तीन आयुक्तालयों ने कोई सूचना नहीं दी। केवल रोहतक आयुक्तालय ने सूचित किया कि ई-वे बिल सत्यापन के लिए समर्पित मोबाइल दस्ते गठित किए गए थे। 53 अन्य आयुक्तालयों ने सूचित किया कि ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों के संचालन के लिए कोई समर्पित ढाँचा नहीं बनाया गया था। पुणे-II आयुक्तालय ने सूचित किया कि समर्पित इकाई 2019 तक अस्तित्व में थी; लेकिन उसके बाद कोई समर्पित इकाई अस्तित्व में नहीं आई। आयुक्तालय ने आगे बताया कि मौजूदा निवारक इकाइयों/कर अपवंचन विरोधी शाखाओं को ई-वे बिल कार्यों के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है।

इसे इंगित किये जाने पर (सितंबर 2023 एवं अक्टूबर 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि अन्य तीन आयुक्तालयों में भी समर्पित ढाँचा मौजूद हैं।

5.1.1.2 श्रमशक्ति की पर्याप्तता

58 चयनित आयुक्तालयों की निवारक इकाइयों से मौजूदा श्रमशक्ति का विवरण प्राप्त किया गया था। 35 आयुक्तालयों ने श्रमशक्ति की उपलब्धता के बारे में सूचना नहीं दी। 22 आयुक्तालयों ने भी श्रमशक्ति का ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन

बताया कि उनकी निवारक इकाइयों में अपर्याप्त श्रमशक्ति है। बोलपुर आयुक्तालय ने सूचित किया कि ई-वे बिल सत्यापन करने के लिए उनकी निवारक इकाइयों में पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध थी।

समर्पित ढांचे की अनुपलब्धता के साथ स्टाफ की संख्या में रिक्तियां ईडब्ल्यूबी से संबंधित निवारक कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं।

इसे इंगित किये जाने पर (सितंबर 2023 एवं अक्टूबर 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि चार आयुक्तालयों[22] के पास ई-वे बिल सत्यापन करने के लिए पर्याप्त श्रमबल है। मंत्रालय ई-वे बिल सत्यापन करने के लिए पर्याप्त श्रमबल बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दे।

5.1.1.3 पर्याप्त गश्त वाहनों की कमी

58 चयनित आयुक्तालयों से विशेष रूप से ई-वे बिल सत्यापन कार्यों के लिए गश्ती वाहनों की उपलब्धता का विवरण मांगा गया। चार आयुक्तालयों ने सूचना नहीं दी। 54 आयुक्तालयों ने सूचित किया कि विशेष गश्ती वाहन उपलब्ध नहीं थे। इन कार्यालयों में, जब भी सत्यापन की योजना बनाई जाती है, आयुक्तालयों में उपलब्ध वाहनों का उपयोग करके सत्यापन किया गया।

ई-वे बिल सत्यापन के लिए पर्याप्त गश्ती वाहनों की उपलब्धता, पारगमन में माल के प्रभावी एवं समय पर अवरोधन एवं सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है।

इस ओर इंगित किये जाने पर (सितंबर 2023 एवं अक्टूबर 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि आठ आयुक्तालयों[23] में पर्याप्त गश्ती वाहन उपलब्ध हैं।

मंत्रालय विशेष रूप से ई-वे बिल सत्यापन करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्याप्त गश्ती वाहन तैनात करने पर विचार करे।

5.1.1.4 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

लेखापरीक्षा ने चयनित निवारक इकाइयों से वाहन अवरोधों के माध्यम से ई-वे बिल के सत्यापन के लिए बोर्ड/जोन/आयुक्तालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं

[22] दिल्ली पश्चिम, नागपुर, पुडुचेरी और राउरकेला।

[23] अलवर, बेलापुर, दिल्ली पश्चिम, मंगलुरु, कानपुर, पुणे- II, राउरकेला और उदयपुर।

उनके प्रति उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा। 39 आयुक्तालयों की निवारक इकाइयों ने सूचित किया कि ई-वे बिल के सत्यापन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे। शेष चार आयुक्तालयों द्वारा लक्ष्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

विभाग/मंत्रालय को इसके बारे में अवगत कराया गया (सितंबर 2023 एवं अक्टूबर 2023/जुलाई 2024) एवं उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

10 आयुक्तालयों के संबंध में यह सूचित किया गया कि माह-वार आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तथापि, लेखापरीक्षा इन लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि/कमी की जांच नहीं कर सकी क्योंकि इन इकाइयों द्वारा माह-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अन्य पांच आयुक्तालयों[24] ने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए तथा 1,13,400 ई-वे बिल के सत्यापन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 6,129 ई-वे बिल (5.4 प्रतिशत) का ही सत्यापन किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2023 से जुलाई 2023/जुलाई 2024 तक), तीनों आयुक्तालयों[25] ने उत्तर दिया (मार्च 2023 से अगस्त 2023 के बीच) कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिबंधों के कारण सत्यापन प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी गई थी एवं प्रतिबंधों में ढील दिए जाने पर इसे फिर से शुरू किया गया। अन्य आयुक्तालयों/मंत्रालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

अनुशंसा 7: विभाग राजस्व की सुरक्षा के लिए ई-वे बिल सत्यापन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के लिए श्रमबल एवं गश्ती वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि डीजीएआरएम रिपोर्टों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ई-वे बिल से संबंधित निवारक उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सितंबर 2024 एवं अक्टूबर 2024 में आयोजित मुख्य आयुक्तों/महानिदेशकों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि ई-वे बिल के संबंध में सड़क पर गश्त एवं जांच उन मामलों में की जाएगी जो विशिष्ट खुफिया सूचना पर आधारित हैं।

24 बोलपुर, हल्दिया, हावड़ा, कोलकाता उत्तर और राउरकेला।

25 बोलपुर, कोलकाता उत्तर और राउरकेला।

5.1.1.5 एनआईसी द्वारा सृजित ई-वे बिल पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग

एनआईसी, ई-वे बिल लेनदेन पर 97 विश्लेषणात्मक रिपोर्टें तैयार कर रहा है एवं इसे एनआईसी ई-वे बिल पोर्टल के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के जीएसटी विभागों के साथ उनके उपयोग के लिए साझा कर रहा है। एनआईसी द्वारा सृजित ई-वे बिल पर व्यापक विश्लेषण संबंधी मैनुअल में प्रत्येक रिपोर्ट की प्रकृति एवं उसके उपयोग के बारे में सूचना दी गई है। ये रिपोर्टें वाहन की गतिविधि की सूचना का उपयोग करके फर्जी चालान, कर अपवंचन, रीसाइक्लिंग आदि के मामलों की पहचान करने में सक्षम अधिकारियों की मदद करती हैं।

लेखापरीक्षा ने इस संदर्भ में जांच की कि 58 आयुक्तालयों में निवारक कार्यालयों द्वारा ई-वे बिल के सत्यापन की योजना बनाने के लिए इन रिपोर्टों का किस स्तर तक उपयोग किया गया। परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(i) विश्लेषणात्मक रिपोर्टों तक पहुंच

38 आयुक्तालयों की निवारक इकाइयों ने कहा कि उनके पास विश्लेषणात्मक रिपोर्टों तक पहुँच के लिए केवल एक उपयोगकर्ता आईडी है, जिसमें सहायक आयुक्त एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती है। 15 आयुक्तालयों की निवारक इकाइयों ने कहा कि उनके पास विश्लेषणात्मक रिपोर्टों तक पहुँच नहीं है। पांच आयुक्तालयों से विवरण की प्रतीक्षा की जा रही थी।

(ii) विश्लेषणात्मक रिपोर्टें का उपयोग

वाहन अवरोधन की योजना बनाने के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उपयोग के संबंध में, चार आयुक्तालयों ने कहा कि वे योजना बनाने के प्रयोजनों के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उपयोग कर रहे थे एवं मंगलुरु आयुक्तालय ने सूचित किया कि उन्होंने रिपोर्टों का बहुत कम उपयोग किया। 46 आयुक्तालयों ने कहा कि वे रिपोर्टें का उपयोग योजना बनाने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। सात आयुक्तालयों से विवरण की प्रतीक्षा है।

(iii) विश्लेषणात्मक रिपोर्टों को साझा करना

लेखापरीक्षा ने यह पता लगाया कि क्या विश्लेषणात्मक रिपोर्टें, विवरणियों की जांच की प्रक्रिया में उपयोग के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी गई थीं। क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ विश्लेषणात्मक रिपोर्टों को साझा करने के संबंध

में, तीन आयुक्तालयों ने कहा कि वे क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ विश्लेषणात्मक रिपोर्टों पर सूचना साझा कर रहे हैं। 49 आयुक्तालय विवरणियों की जांच में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त अधिकारियों के साथ सूचना साझा नहीं कर रहे थे। छह आयुक्तालयों से अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा थी।

(iv) अतिरिक्त रिपोर्टें की आवश्यकता के लिए अनुरोध करना

एनआईसी केन्द्रीय एवं राज्य जीएसटी विभागों के अधिकारियों से नई रिपोर्टों के लिए अनुरोध प्राप्त करता है एवं एनआईसी नई विश्लेषणात्मक रिपोर्टों की रूप रेखा तैयार करता है एवं विकसित करता है। जब यह पता लगाया गया कि क्या एनआईसी से नई विश्लेषणात्मक/एमआईएस रिपोर्टें के लिए कोई मांग की गई थी, तो यह पाया गया कि 41 आयुक्तालयों के संबंध में कोई मांग नहीं की गई थी। 17 आयुक्तालयों से उत्तर की प्रतीक्षा थी।

यह विभाग (सितंबर 2023 एवं अक्टूबर 2023) एवं मंत्रालय (जुलाई 2024) को इंगित किया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

निकास संगोष्ठी (नवंबर 2024) के दौरान, सदस्य (जीएसटी) ने बताया कि विश्लेषणात्मक रिपोर्टें के उपयोग के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे। जीएसटीएन के सीईओ ने बताया कि कई रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं एवं उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों के साथ साझा किया जा रहा है।

यद्यपि, एनआईसी द्वारा अनेक विश्लेषणात्मक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं एवं उनका आदान-प्रदान किया जाता है, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन रिपोर्टों के खराब उपयोग के कारण उपयुक्त निगरानी तंत्र तैयार करना आवश्यक हो जाता है।

5.1.1.6 वाहनों की आवाजाही पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टें

उपलब्ध विश्लेषणात्मक रिपोर्टों में से, लेखापरीक्षा ने वाहनों की आवाजाही से संबंधित रिपोर्टों की जांच की एवं निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

(i) माल के आवाजाही न होने की निगरानी करना

एनआईसी द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्टों में से एक वाहनों जिन पर ई-वे बिल सृजित किए गए थे की आवाजाही न होने पर रिपोर्ट (बी-1 रिपोर्ट) है। लेखापरीक्षा के दौरान, 50 आयुक्तालयों की निवारक इकाइयों ने उत्तर दिया

कि वे माल के आवाजाही न होने पर रिपोर्टों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पुडुचेरी आयुक्तालय ने कहा कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा माल के आवाजाही न होने का कोई मामला नहीं था, इसलिए उक्त रिपोर्टों का उपयोग करके कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय की निवारक इकाई ने कहा कि वे सबूत इकट्ठा करने के लिए रिपोर्टों का उपयोग कर रहे थे। शेष छह आयुक्तालयों के संबंध में, सूचना प्रतिक्षित थी। (जुलाई 2024)

यह विभाग (सितंबर 2023 एवं अक्टूबर 2023) को इंगित किया गया था एवं उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2024)।

एनआईसी द्वारा सृजित उपरोक्त विश्लेषणात्मक रिपोर्टें के आधार पर, लेखापरीक्षा ने नौ आयुक्तालयों से संबंधित 40 करदाताओं की पहचान की एवं सत्यापन के लिए 1,942 ई-वे बिल का चयन किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,942 ई-वे बिल में से 1,593 ई-वे बिल को प्रेषकों द्वारा जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किया गया था। चूंकि इन ई-वे बिल के संबंध में वाहनों की कोई आवाजाही नहीं थी, इसलिए माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना बीजक तैयार करने की संभावना थी। सभी मामलों की सूचना विभाग को दी गई ताकि विवरणों का सत्यापन किया जा सके तथा यह पता लगाया जा सके कि क्या माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना ही आईटीसी प्राप्तकर्ताओं को दे दी गई थी। शेष 349 ई-वे बिल को जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट नहीं किया गया। चूंकि सृजित ई-वे बिल को रद्द नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने इन मामलों को विभाग को यह जांच करने के लिए भेजा कि क्या माल की कोई आवाजाही बाह्य् आपूर्ति पर देय कर का भुगतान न करने से संबंधित थी।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2023 एवं सितंबर 2023 के बीच), मंत्रालय ने पांच मामलों में यह कहते हुए कि एससीएन जारी किए गए थे, अभ्युक्तियाँ स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2024)। अन्य मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

(ii) वाहनों के बहु-संचलन पर रिपोर्टें

एनआईसी वाहनों के बहु-संचलन के संबंध में अन्य दो रिपोर्टें[26] तैयार कर रहा है। चयनित आयुक्तालयों से इन रिपोर्टों के उपयोग का विवरण भी मांगा गया।

[26] 'एक ही वाहन के बहु-संचलन' पर बी4 रिपोर्ट और 'अन्य वाहनों में बहु-संचलन' पर बी5 रिपोर्ट।

51 आयुक्तालयों ने सूचित किया कि उन्होंने माल की बहुविध आवाजाही पर रिपोर्ट का उपयोग नहीं किया। पुडुचेरी आयुक्तालय ने कहा कि वे एक से अधिक खेपों के लिए एक ही ई-वे बिल के दुरुपयोग की निगरानी कर रहे हैं; लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। छह आयुक्तालयों के संबंध में सूचना प्रतीक्षित थी (जुलाई 2024)।

विभाग/मंत्रालय को उससे अवगत कराया गया (सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023/जुलाई 2024)। विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

अनुशंसा 8: विभाग वाहनों के अवरोधन की योजना, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए ई-वे बिल पर एनआईसी विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उपयोग करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि सीबीआईसी क्षेत्रों को ई-वे बिल प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए वाहनों के अवरोधन की योजना, निष्पादन एवं निगरानी के लिए ई-वे बिल पर एनआईसी विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

विभाग इन अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करने पर विचार करे।

5.1.2 कर अपवंचन-विरोधी उपायों की प्रभावशीलता

सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश को निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18(2) कार्यालयों/विभागों पर यह सांविधिक दायित्व प्रदान करता है कि वे सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप से एवं पूरी तत्परता से अनुपालन करें।

सीजीएसटी नियमावली के नियम 138 के अनुसार, माल के परिवहन के मामले में माल की आवाजाही शुरू होने से पहले ई-वे बिल सृजित करना आवश्यक है। ई-वे बिल के सत्यापन के लिए, सीबीआईसी ने निर्देश जारी[27] किए थे; जिसमें

[27] परिपत्र संख्या 41/15/2018-जीएसटी दिनांक 13 अप्रैल 2018, 49/23/2018-जीएसटी दिनांक 21 जून 2018 एवं 64/38/2018-जीएसटी दिनांक 14 सितंबर 2018।

माल के निरीक्षण के लिए वाहनों को रोकने की प्रक्रिया एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा ने विभाग की अवरोधन गतिविधियों की प्रभावशीलता की जांच की तथा वाहनों के अवरोधन के दौरान विभाग द्वारा दर्ज मामलों का सत्यापन किया। परिणाम नीचे दिये गये हैं:

5.1.2.1 दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र सीमित होना

(i) लेखापरीक्षा ने चयनित 58 आयुक्तालयों से ई-वे बिल सत्यापन एवं दर्ज मामलों (संदर्भ संख्या एवं कर/जुर्माने की राशि) के बारे में सूचना मांगी। 58 आयुक्तालयों में से आठ आयुक्तालयों ने दर्ज मामलों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया, यद्यपि दर्ज मामलों की संख्या उपलब्ध कराई गई थी। दर्ज मामलों के विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा के लिए नमूनों का चयन नहीं किया जा सका। इन आठ आयुक्तालयों में, लेखापरीक्षा ने 584 मामलों में से 243 मामलों की मांग की। हालाँकि, विभाग ने केवल 146 मामले (60 प्रतिशत) प्रस्तुत किये तथा 97 मामले प्रस्तुत नहीं किये गये।

इसके अलावा, शेष 50 आयुक्तालयों ने, जिन्होंने दर्ज मामलों की सूची प्रस्तुत की, लेखापरीक्षा ने 2,444 दर्ज मामलों में से 1,315 मामलों की मांग की। 1,315 दर्ज मामलों में से 1,259 मामले प्रस्तुत किये गये। पांच आयुक्तालयों ने 56 मामले प्रस्तुत नहीं किये।

दर्ज मामलों से संबंधित फाइलें प्रस्तुत न करने का विवरण **तालिका-8** में दिया गया है:

तालिका-8: दस्तावेजों/फाइलों को प्रस्तुत न किए जाने का विवरण

क्र.सं.	आयुक्तालय	बुक किए गए मामलों की कुल संख्या	नमूना	प्रस्तुत मामलों की संख्या	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या
प्रस्तुत नहीं की गई सूची					
1	अगरतला	39	39	37	2
2	अहमदाबाद उत्तर	12	12	6	6
3	दिल्ली पश्चिम	16	16	0	16
4	लखनऊ	4	4	2	2
5	मदुरै	44	44	36	8

क्र.सं.	आयुक्तालय	बुक किए गए मामलों की कुल संख्या	नमूना	प्रस्तुत मामलों की संख्या	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या
6	पुणे-I	28	28	9	19
7	वडोदरा -II	112	50	46	4
8	सूरत	329	50	10	40
उप-योग		**584**	**243**	**146**	**97**
प्रस्तुत की गई सूची					
9	रोहतक	56	50	23	27
10	मैसूर	36	36	30	6
11	पंचकुला	72	49	46	3
12	मेडचल	86	48	29	19
13	पुडुचेरी	8	8	7	1
उप-योग		**258**	**191**	**135**	**56**
कुल		**842**	**434**	**281**	**153**

153 मामलों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में शामिल निवारक पहलुओं/मुद्दों पर निष्कर्ष निकालने में लेखापरीक्षा सफल नहीं हो सकी।

विभाग/मंत्रालय को इस मामले से अवगत कराया गया (मार्च 2023 से सितंबर 2023/जुलाई 2024)। विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

(ii) इसके अलावा, 16 आयुक्तालयों से संबंधित 309 दर्ज मामलों से संबंधित उपलब्ध कराए गए दस्तावेज पूर्ण नहीं थे क्योंकि इन मामलों में सभी जीएसटीआर फॉर्म/दस्तावेज उपलब्ध[28] नहीं कराए गए थे। संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित **तालिका-9** में दिया गया है:

[28] लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-वे बिल के सत्यापन के लिए वाहनों के अवरोधन के दौरान उपयोग किए गए कुछ निर्धारित दस्तावेज जैसे एमओवी-3, एमओवी-4, एमओवी-5, एमओवी-6, एमओवी-8 आदि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

तालिका-9: दस्तावेजों के आंशिक-प्रस्तुतीकरण का विवरण

क्र.सं.	आयुक्तालय	ऐसे मामलों की संख्या जहां दस्तावेज प्रस्तुत किए गए	ऐसे मामलों की संख्या जहां अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए
1	अगरतला	37	8
2	बेंगलुरु पूर्व	50	50
3	भावनगर	50	2
4	भोपाल	46	1
5	बोलपुर	50	24
6	गुवाहाटी	50	7
7	लुधियाना	9	8
8	मदुरै	36	34
9	मंगलुरु	6	5
10	मैसूर	30	30
11	पंचकुला	46	35
12	पटना-I	50	47
13	पुडुचेरी	7	4
14	रोहतक	23	23
15	सेलम	50	13
16	उदयपुर	50	18
	कुल	**590**	**309**

फाइलों के आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण लेखापरीक्षा इन मामलों में की गई कार्रवाई की प्रभावशीलता तथा मांगे गए कर एवं जुर्माने की सत्यता की जांच नहीं कर सकी।

विभाग/मंत्रालय को इस मामले से अवगत कराया गया (मार्च 2023 से सितम्बर 2023/जुलाई 2024 तक)। विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

5.1.2.2 ई-वे बिल सत्यापन के दौरान कर एवं दंड की मांग का सृजन न होना/कम सृजन होना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 (1) के अनुसार, जब माल एवं वाहन को अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया जाता है, तो उसे लागू कर एवं जुर्माने की समान राशि (31 दिसंबर 2021 तक) के भुगतान पर छोड़ दिया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से लागू कर का 200 प्रतिशत जुर्माना वसूला जाना आवश्यक था।

बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों[29] के अनुसार, सक्षम अधिकारी कॉमन पोर्टल पर मांग आदेश (एमओवी-09) अपलोड करेगा तथा कार्यवाही से प्राप्त मांग को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में जोड़ा जाएगा तथा किए गए भुगतान को संबंधित व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

58 आयुक्तालयों से संबंधित 1,405 दर्ज मामलों की जांच से पता चला कि हालांकि 200 मामलों में वाहन छोड़ दिए गए थे, लेकिन ₹ 2.60 करोड़ की मांग नहीं सृजित की गई थी।

इसके अतिरिक्त 93 मामलों में ₹ 0.79 करोड़ की कम मांग की गई थी; जिसका विवरण नीचे **तालिका-10** में दिया गया है।

तालिका-10: मांग का सृजन न किया जाना/अल्प सृजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पाई गई विसंगतियों का सार	विवरण	मामलों की संख्या	शामिल राशि			
				कर	जुर्माना	शुल्क	कुल
1	वाहनों के अवरोधन के दौरान मांग सृजित नहीं की गई थी	सिस्टम में कर एवं जुर्माने की मांग किए बिना वाहन छोड़ दिये गये	200	1.17	1.43	0	2.60
2	कर या जुर्माने की मांग का अल्प-सृजन	कर/जुर्माने की कम वसूली एवं कम मांग का सृजन	93	0.41	0.31	0.07	0.79
		कुल	**293**	**1.58**	**1.74**	**0.07**	**3.39**

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च एवं अगस्त 2023 के बीच), विभाग/मंत्रालय ने 61 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिनमें ₹ 0.65 करोड़ की राशि शामिल थी। विभाग/मंत्रालय ने 61 मामलों के संबंध में कहा कि उस समय ई-वे बिल प्रणाली की नई शुरुआत थी एवं डीआरसी-3 एवं डीआरसी-7 प्राप्त करने की कार्यक्षमताएं उपलब्ध नहीं थीं एवं कुछ मामलों में

[29] परिपत्र 41/15/2018-जीएसटी दिनांक 13 अप्रैल 2018 के पैरा 2 (एच)।

शामिल व्यक्ति जीएसटी के अंतर्गत अपंजीकृत थे एवं मांग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी एवं इसलिए कर/जुर्माना वसूलने पर वाहनों को छोड़ दिया गया। एक मामले के संबंध में, यह उत्तर दिया गया कि डीआरसी-3 चालान अग्रेषित किया गया था; तथापि, यह लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं हुआ।

इसके अलावा, इन मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की सूचना भी नहीं दी गई। विभाग को इन मामलों की जांच करनी चाहिए तथा सभी मामलों में राजस्व वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

शेष 170 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

5.1.2.3 वाहनों के अवरोधन के लिए दिशा-निर्देशों का पालन न करना

सीबीआईसी ने तीन परिपत्रों[30] के अंतर्गत आवाजाही में माल के निरीक्षण के लिए वाहनों के अवरोधन एवं ऐसे माल एवं वाहनों को रोकने, छोड़ने एवं जब्त करने की प्रक्रिया पर दिशानिर्देश प्रदान किए थे। लेखापरीक्षा ने सीबीआईसी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन की सीमा की जांच की। लेखापरीक्षा में 17 मामलों में प्रक्रियागत विचलन पाया गया, जैसा कि **तालिका-11** में नीचे दिया गया है:

तालिका-11: विभागीय अधिकारी द्वारा की गई प्रक्रियागत चूक

पाई गई कमियों का विवरण	आयुक्तालयों की संख्या	दर्ज मामलों की कुल संख्या	नमूने के रूप में चयनित दर्ज किए गए मामलों की संख्या	बुक किये गये सत्यापित मामलों की संख्या	दर्ज मामलों की संख्या जिनमें कमी पाई गई
प्रक्रिया का अनुचित पालन (वाहनों को रोकने के दौरान, एमओवी फॉर्म का उपयोग नहीं किया गया, इसके बजाय, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत समन जारी किए	1	99	50	50	6

[30] परिपत्र सं.41/15/2018-जीएसटी, दिनांक 13 अप्रैल 2018, परिपत्र सं.49/23/2018-जीएसटी, दिनांक 21 जून 2018 और परिपत्र सं. 64/38/2018-जीएसटी, दिनांक 14 सितंबर 2018।

पाई गई कमियों का विवरण	आयुक्तालयों की संख्या	दर्ज मामलों की कुल संख्या	नमूने के रूप में चयनित दर्ज किए गए मामलों की संख्या	बुक किये गये सत्यापित मामलों की संख्या	दर्ज मामलों की संख्या जिनमें कमी पाई गई
गए एवं कमियों के लिए कर एवं जुर्माना वसूला गया)					
अनुचित प्रक्रिया अपनाई गई (आदेश सहायक आयुक्त के बजाय अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, आदि)	5	475	230	205	11

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च एवं अगस्त 2023 के बीच) विभाग/मंत्रालय ने आठ मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया। तीन मामलों के संबंध में, यह उत्तर दिया गया कि ये लेन-देन आयात से संबंधित थे तथा इनमें कर का कोई छिपाव नहीं पाया गया था, इसलिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि ई-वे बिल का सृजन न होने पर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत लागू कर एवं समान शास्ति लगाने हेतु कार्रवाई शुरू की जानी थी एवं सीबीआईसी द्वारा उनके परिपत्र संख्या 41 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना था। एक अन्य मामले के संबंध में, यह उत्तर दिया गया कि करदाता द्वारा कर एवं जुर्माने का भुगतान करने के बाद वाहन को छोड़ दिया गया था। उत्तर में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने (फार्म एमओवी-05 उपलब्ध नही था एवं एमओवी-06 निर्धारित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था) के बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक अन्य मामले के संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि जुर्माने का भुगतान डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया था एवं इसलिए एमओवी-10 जारी नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भुगतान निर्धारित अवधि के बाद ही किया गया था; जिसके लिए एमओवी-10 जारी कर माल जब्त करने की कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी।

शेष चार मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

5.1.3 अपंजीकृत करदाताओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के सृजित ई-वे बिल

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना होगा, जहां से वह वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसकी कुल बिक्री 20 लाख रुपये से अधिक है। 1 अप्रैल 2019 से यह सीमा बढ़ाकर ₹ 40 लाख[31] कर दी गई। एक अपंजीकृत व्यक्ति भी ई-वे बिल प्रणाली में स्वयं को पंजीकृत करके ई-वे बिल सृजित कर सकता है।

आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने आपूर्ति से संबंधित 3,585 ई-वे बिल की पहचान की, जहां आपूर्तिकर्ता अपंजीकृत व्यक्ति थे। प्रत्येक ई-वे बिल में लेनदेन का मूल्य सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए निर्धारित ₹ 40 लाख की सीमा से अधिक था। अतः इन करदाताओं को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए था। इसके अलावा, ई-वे बिल प्रणाली अपंजीकृत करदाताओं को निर्धारित सीमा से अधिक ई-वे बिल उत्पन्न करने से नहीं रोकती।

जांच एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए विवरण 20 जोन के साथ (जून 2023 एवं सितंबर 2023 के बीच) साझा किया गया। उक्त का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2024)।

अनुशंसा 9: विभाग ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करे ताकि उन क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक ई-वे बिल सृजित किए जाने को रोका जा सके जहां आपूर्तिकर्ता अपंजीकृत व्यक्ति है।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2024 एवं नवंबर 2024) कि जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर सीजीएसटी नियमावली के 138 के उप-नियम (3) में चौथा परंतुक डाला जा रहा है एवं उक्त संशोधन अभी तक अधिसूचित[32] नहीं किया गया है। ईएनआर-03[33] सुविधा शुरू की जा रही है एवं इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जिन अपंजीकृत व्यक्तियों को ई-वे बिल सृजित करना आवश्यक है,

---

[31] विशेष श्रेणी राज्यों के लिए यह सीमा ₹ 20 लाख है।

[32] अधिसूचना संख्या 12/2024 - केंद्रीय कर दिनांक 10 जुलाई 2024 द्वारा अधिसूचित।

[33] अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा नामांकन के आवेदन के लिए प्रपत्र।

उन्हें फॉर्म जीएसटी-ईएनआर-03 का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने पर एक विशिष्ट नामांकन संख्या जारी की जाएगी। इस सुविधा का उद्देश्य अपंजीकृत व्यक्तियों को ई-वे बिल बनाने में उचित बनाना तथा माल की आवाजाही में पारदर्शिता बढ़ाना है। इसके अलावा, जीएसटीएन को कॉमन पोर्टल पर इसके लिए कार्यक्षमता विकसित करने का काम सौंपा गया है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि मामलों को कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया जा रहा है।

5.2 राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

जीएसटी भुगतान में सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी आदि जैसे विभिन्न घटक शामिल होते हैं एवं ये संघ तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के राजस्व को प्रभावित करते हैं। इस रिपोर्ट में रेखांकित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व पर निष्कर्षों का मौद्रिक प्रभाव **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

अध्याय 6: निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

6.1 निष्कर्ष

माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-वे बिल प्रणाली के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता में कमियों को पाया और अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल बनाने वाले कंपोजिशन करदाताओं, कंपोजिशन योजना की निर्धारित सीमा पार करने वाले ई-वे बिल बनाने, ई-वे बिल बनाने वाले करदाताओं द्वारा शून्य विवरणियां दाखिल करने, ई-वे बिल बनाने वाले करदाताओं द्वारा विवरणियां दाखिल नहीं करने, पंजीकरण रद्द होने के बाद ई-वे बिल बनाने वाले करदाताओं और एक ही बीजक का उपयोग कर कई ई-वे बिल बनाने के मामलों को देखा। लेखापरीक्षा ने ₹ 866.59 करोड़ (ब्याज सहित) कर प्रभाव/आईटीसी के गलत मिलान से संबंधित 563 मामले पाए। इसमें से मंत्रालय/विभाग ने ₹ 444.68 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाली 313 अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। इसके अलावा, मंत्रालय/विभाग ने 23 मामलों में ₹ 7.98 करोड़ रुपये की वसूली की सूचना दी।

विभाग के निवारक कार्यों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने ई-वे बिल के सत्यापन के लिए समर्पित व्यवस्था न होना, अपर्याप्त गश्ती वाहन, अपर्याप्त जनशक्ति, ई-वे बिल सत्यापन के लिए लक्ष्य न होना या लक्ष्यों के विरुद्ध ई-वे बिल का अपर्याप्त सत्यापन तथा ई-वे बिल पर एनआईसी की विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का अपर्याप्त उपयोग जैसी प्रशासनिक कमियां पायी। लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा वाहनों के अवरोधन में भी कमियां पाई, जिसमें कर और जुर्माने का गैर/कम संग्रहण तथा प्रणाली में मांग का गैर/कम सृजन शामिल था। 293 मामलों में पायी गई विसंगतियों में ₹ 3.39 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था ।

6.2 अनुशंसाएं

अनुशंसा 1 : विभाग ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करे, ताकि सीएलएस करदाता, साथ ही विभागीय अधिकारी को सीमा पार करने एवं अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित करने के बारे में चेतावनी दी जा सके।

अनुशंसा 2 : विभाग उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल सृजित करने वाले लेकिन कर देयता का निर्वहन न करने वाले करदाताओं की पहचान करने एवं ऐसे करदाताओं की रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों को देने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करे।

अनुशंसा 3 : विभाग, पूर्व प्रभावी रूप से पंजीकरण रद्द करने से पहले करदाता द्वारा सृजित किए गए ई-वे बिल पर विचार करने एवं जहां भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करे।

अनुशंसा 4 : विभाग ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को सम्मिलित करे ताकि करदाता एवं विभागीय अधिकारी को एकल बीजक/समान बीजक के साथ कई ई-वे बिल के निर्माण पर सचेत किया जा सके।

अनुशंसा 5 : विभाग ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करे, ताकि जब भी प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल सृजित किया जाए, तो करदाताओं को सचेत किया जा सके।

अनुशंसा 6 : विभाग ई-वे बिल में असामान्य उच्च मूल्य और असंगत आंकड़ों की चेतावनी देने/रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करे।

अनुशंसा 7 : विभाग राजस्व की सुरक्षा के लिए ई-वे बिल सत्यापन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के लिए श्रमबल एवं गश्ती वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

अनुशंसा 8 : विभाग वाहनों के अवरोधन की योजना, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए ई-वे बिल पर एनआईसी विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उपयोग करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करे।

अनुशंसा 9 : विभाग ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करे ताकि उन क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक ई-वे बिल सृजित किए जाने को रोका जा सके जहां आपूर्तिकर्ता अपंजीकृत व्यक्ति है।

नई दिल्ली	**(स्मिता गोपाल)**
दिनांक: 19 जून 2025	**प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली	**(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 23 जून 2025	**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

अन्तः राज्यीय ई-वे बिल के लिए निर्धारित सीमा

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

क्रम सं.	राज्य का नाम	निर्धारित-सीमा
1	आंध्र प्रदेश	₹ 50,000
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	₹ 50,000
3	अरुणाचल प्रदेश	₹ 50,000
4	असम	₹ 50,000
5	बिहार	₹ 1,00,000
6	छत्तीसगढ	₹ 50,000
7	चंडीगढ़	₹ 50,000
8	दादरा नगर हवेली	₹ 50,000
9	दिल्ली	₹ 1,00,000
10	गोवा	₹ 50,000
11	गुजरात	₹ 50,000
12	हरियाणा	₹ 50,000
13	हिमाचल प्रदेश	₹ 50,000
14	जम्मू और कश्मीर	₹ 50,000
15	झारखंड	₹ 1,00,000
16	कर्नाटक	₹ 50,000
17	केरल	₹ 50,000
18	लद्दाख	₹ 50,000
19	लक्षद्वीप	₹ 50,000
20	मध्य प्रदेश	₹ 1,00,000
21	महाराष्ट्र	₹ 1,00,000
22	मणिपुर	₹ 50,000
23	मेघालय	₹ 50,000
24	मिजोरम	₹ 50,000
25	नागालैंड	₹ 50,000
26	ओडिशा	₹ 50,000

क्रम सं.	राज्य का नाम	निर्धारित-सीमा
27	पुदुचेरी	₹ 50,000
28	पंजाब	₹ 50,000
29	राजस्थान	₹ 1,00,000 / 2,00,000*
30	सिक्किम	₹ 50,000
31	तमिलनाडु	₹ 50,000
32	तेलंगाना	₹ 50,000
33	त्रिपुरा	₹ 50,000
34	उत्तर प्रदेश	₹ 50,000
35	उत्तराखंड	₹ 50,000
36	पश्चिम बंगाल	₹ 50,000

* 31 मार्च 2022 तक, अंतर-राज्यीय लेन-देन के संबंध में ई वे बिल के लिए निर्धारित सीमा ₹ 1 लाख थी। 1 अप्रैल 2022 से, शहर को पार किए बिना उसी शहर के क्षेत्र के भीतर शुरू और समाप्त होने वाली माल की आवाजाही के संबंध में निर्धारित सीमा को बढ़ाकर ₹ 2 लाख कर दिया गया। अंतर-राज्यीय लेन-देन के संबंध में निर्धारित सीमा ₹ 1 लाख है।

परिशिष्ट- II

मुख्य समस्या क्षेत्र

(पैराग्राफ 2.4 देखें)

क्रम सं.	केपीए विवरण
1	केवल बाह्य आपूर्ति ई-वे बिल वाले करदाता
2	शून्य विवरणी फाईल करने वालो द्वारा उत्पन्न ई-वे बिल
3	विवरणी डिफॉल्टरों (विवरणियां दाखिल न करने वालो) द्वारा सृजित ई-वे बिल
4	करदाता के पंजीकरण रद्द होने के बाद बनाए गए ई-वे बिल
5	जीएसटी पंजीकरण के छह महीने के भीतर बनाए गए उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल
6	महाराष्ट्र कर प्राधिकरण और विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) द्वारा उच्च जोखिम वाले करदाताओं के ई-वे बिल
7	उन करदाताओं के ई-वे बिल जिनका पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया था
8	अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल बनाने वाले कम्पोजीशन करदाता
9	कम्पोजीशन करदाता जिन्होंने निर्धारित सीमा पार कर ली थी
10	एकल बीजक के साथ कई ई-वे बिल का सृजन
11	विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा प्रतिबंधित इकाइयों के ई-वे बिल
12	असमानुपातिक आवक-जावक आपूर्ति वाले करदाताओं के ई-वे बिल
13	पिन से पिन तक से अधिक दूरी वाले ई-वे बिल
14	प्राप्तकर्ता द्वारा बाद में अस्वीकृत ई-वे बिल
15	असमानुपातिक बाह्य आपूर्ति अनुपात वाले ई-वे बिल
16	अमान्य पिन कोड का उपयोग करने वाले ई-वे बिल

क्रम सं.	केपीए विवरण
17	आठ घंटे से अधिक बढाये गये ई-वे बिल
18	पंजीकरण रद्द किए गए वाहनों के पंजीकरण संख्या के साथ बनाए गए ई-वे बिल
19	दो पहिया वाहनों के नंबर का उपयोग करके सृजित किये गये ई-वे बिल
20	सरेंडर किए गए वाहनों की पंजीकरण संख्या के साथ सृजित किये गये ई-वे बिल
21	बनाए गए और बाद में रद्द किए गए ई-वे बिल
22	स्क्रैप किए गए वाहनों की पंजीकरण संख्या के साथ बनाए गए ई-वे बिल
23	ई-वे बिल बनाने में चोरी हुए वाहनों के पंजीकरण नंबर का उपयोग
24	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के डिफॉल्टरों से संबंधित ई-वे बिल
25	निलंबित वाहनों की पंजीकरण संख्या के साथ बनाए गए ई-वे बिल
26	आयकर चूककर्ताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल

परिशिष्ट - III

राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

(पैराग्राफ 5.2 देखें)

राशि ₹ करोड़ में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा नंबर	शामिल एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
आंध्र प्रदेश	**0.37**	**0.34**	**0.00**
4.1.2 (ख)	0.01	0.01	0.00
4.1.2 (ग)	0.32	0.32	0.00
4.1.2 (घ)	0.00	0.00	0.00
4.1.2 (क)	0.00	0.00	0.00
4.1.4 (क)	0.04	0.00	0.00
असम	**0.30**	**0.00**	**0.00**
4.1.2 (ख)	0.03	0.00	0.00
4.1.2 (ड़)	0.05	0.00	0.00
4.1.2 (च)	0.04	0.00	0.00
4.1.4 (क)	0.15	0.00	0.00
5.1.2.2	0.02	0.00	0.00
बिहार	**0.28**	**0.00**	**0.00**
4.1.2 (ग)	0.04	0.00	0.00
4.1.2 (घ)	0.01	0.00	0.00
4.1.2 (ड़)	0.00	0.00	0.00
4.1.2 (च)	0.17	0.00	0.00
4.1.2 (क)	0.02	0.00	0.00
5.1.2.2	0.05	0.00	0.00
छत्तीसगढ	**0.18**	**0.10**	**0.02**
4.1.2 (ग)	0.02	0.02	0.00
4.1.2 (घ)	0.05	0.01	0.00
4.1.2 (च)	0.05	0.05	0.00
5.1.2.2	0.05	0.02	0.02
दिल्ली	**64.40**	**51.63**	**0.00**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा नंबर	शामिल एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
4.1.2 (ख)	28.70	28.70	0.00
4.1.2 (घ)	0.20	0.03	0.00
4.1.2 (ड़)	6.55	5.88	0.00
4.1.2 (च)	6.88	5.56	0.00
4.1.4 (क)	22.07	11.47	0.00
गुजरात	**9.43**	**9.43**	**0.00**
4.1 .2 (ख)	0.05	0.05	0.00
4.1.2 (ग)	0.67	0.67	0.00
4.1.2 (ड़)	1.64	1.64	0.00
4.1.2 (च)	4.58	4.58	0.00
4.1.4 (क)	2.47	2.47	0.00
5.1.2.2	0.03	0.03	0.00
हरियाणा	**0.01**	**0.00**	**0.00**
4.1.2 (च)	0.01	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.2 (क)	0.00	0.00	0.00
झारखंड	**4.38**	**4.12**	**3.50**
4.1.2 (ख)	0.07	0.07	0.00
4.1.2 (ड़)	0.74	0.63	0.00
4.1.2 (च)	3.52	3.51	3.50
5.1.2.2	0.05	0.01	0.00
कर्नाटक	**0.46**	**0.15**	**0.00**
4.1.2 (ग)	0.01	0.01	0.00
4.1.2 (ड़)	0.05	0.05	0.00
4.1.2 (च)	0.40	0.09	0.00
4.1.2 (क)	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2	0.00	0.00	0.00
केरल	**0.28**	**0.10**	**0.00**
4.1.2 (ग)	0.01	0.01	0.00
4.1.2 (घ)	0.02	0.01	0.00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा नंबर	शामिल एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
4.1.2 (च)	0.25	0.09	0.00
4.1.4 (क)	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	**1.96**	**0.43**	**0.00**
4.1.2 (ख)	0.02	0.02	0.00
4.1.2 (ग)	0.00	0.00	0.00
4.1.2 (घ)	0.00	0.00	0.00
4.1.2 (च)	1.25	0.21	0.00
4.1.2 (क)	0.35	0.00	0.00
4.1.4 (क)	0.20	0.20	0.00
5.1.2.2	0.13	0.00	0.00
महाराष्ट्र	**8.37**	**6.94**	**0.00**
4.1.2 (ख)	6.51	5.29	0.00
4.1.2 (ग)	0.04	0.04	0.00
4.1.2 (घ)	0.01	0.00	0.00
4.1 .2 (ड़)	0.83	0.83	0.00
4.1.2 (च)	0.79	0.79	0.00
4.1.4 (क)	0.17	0.00	0.00
5.1.2.2	0.04	0.00	0.00
मणिपुर	**0.96**	**0.00**	**0.00**
4.1.2 (च)	0.96	0.00	0.00
उड़ीसा	**18.88**	**11.27**	**0.00**
4.1.2 (ख)	1.45	1.45	0.00
4.1.2 (घ)	0.00	0.00	0.00
4.1.2 (ड़)	3.01	3.00	0.00
4.1.2 (च)	1.14	0.22	0.00
4.1.2 (क)	0.58	0.58	0.00
4.1.4 (क)	12.69	6.02	0.00
पुदुचेरी	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.1.2.2	0.00	0.00	0.00
पंजाब	**31.05**	**31.02**	**0.00**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा नंबर	शामिल एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
4.1.2 (ख)	7.33	7.33	0.00
4.1.2 (ग)	4.77	4.77	0.00
4.1.2 (ड़)	0.76	0.76	0.00
4.1.2 (च)	0.98	0.96	0.00
4.1.4 (क)	17.21	17.21	0.00
राजस्थान	**1.64**	**1.64**	**0.01**
4.1.2 (ग)	0.52	0.52	0.00
4.1.2 (ग)	0.04	0.04	0.00
4.1.2 (च)	0.01	0.01	0.00
4.1.2 (क)	0.00	0.00	0.01
4.1.4 (क)	1.07	1.07	0.00
तमिलनाडु	**14.84**	**10.63**	**0.10**
4.1.4(ख)	6.70	6.70	0.00
4.1.2 (ख)	4.08	3.57	0.07
4.1.2 (ग)	0.00	0.00	0.00
4.1.2 (घ)	0.18	0.12	0.00
4.1.2 (ड़)	0.00	0.00	0.00
4.1.2 (च)	1.73	0.21	0.02
4.1.4 (क)	1.22	0.00	0.00
4.1.5 (ii)	0.79	0.00	0.00
5.1.2.2	0.13	0.02	0.01
तेलंगाना	**0.20**	**0.18**	**0.01**
4.1.2 (ख)	0.17	0.17	0.00
5.1.2.2	0.03	0.01	0.01
त्रिपुरा	**0.02**	**0.00**	**0.00**
4.1.2 (ख)	0.01	0.00	0.00
5.1.2.2	0.01	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	**9.12**	**0.51**	**0.00**
4.1.2 (ख)	0.97	0.51	0.00
4.1.2 (ड़)	0.05	0.00	0.00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा नंबर	शामिल एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	वसूली गई एसजीएसटी राशि
4.1.2 (च)	7.02	0.00	0.00
4.1.2 (क)	0.01	0.00	0.00
4.1.4 (क)	1.06	0.00	0.00
5.1.2.2	0.00	0.00	0.00
उत्तराखंड	**46.35**	**0.00**	**0.00**
4.1.2 (ख)	37.08	0.00	0.00
4.1.2 (घ)	0.01	0.00	0.00
4.1.2 (च)	9.26	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	**16.30**	**2.70**	**0.01**
4.1.2 (ख)	10.78	0.00	0.00
4.1.2 (ग)	3.44	2.69	0.00
4.1.2 (ङ)	0.00	0.00	0.00
4.1.2 (च)	0.63	0.00	0.00
4.1.4 (क)	1.32	0.00	0.00
5.1.2.2	0.12	0.01	0.01
कुल योग	**229.80**	**131.30**	**3.65**

शब्दकोष

एसीईएस-जीएसटी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन - माल एवं सेवा कर
एडीवीएआईटी	अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत विश्लेषण
एओ	लेखापरीक्षा उद्देश्य
एवी	मूल्यांकन योग्य मूल्य
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीएजी (डीपीसी अधिनियम, 1971)	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीएसटी	केंद्रीय माल एवं सेवा कर
सीकेडी	कम्पलीटली नॉक्ड डाउन
सीएलएस	कंपोजिशन लेवी योजना
डीडीजी	उप महानिदेशक
डीजीएआरएम	विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीओ	अर्ध सरकारी
डीआरसी	मांग एवं वसूली प्रमाणपत्र
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईडब्ल्यूबी	ई-वे बिल
फास्टैग	टोल भुगतान के लिए रेडियो आवृत्ति पहचान तकनीक टैग
एफएसएसए	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीएसटीआईएन	माल एवं सेवा कर पहचान संख्या
जीएसटीएन	माल एवं सेवा कर नेटवर्क
जीएसटीआर	माल एवं सेवा कर विवरणी
एचएसएन	नामावली हेतु सामंजस्य प्रणाली कोड
आईडी	पहचान

आईजीएसटी	अंतर-राज्यीय माल एवं सेवा कर
आईटीसी	इनपुट टैक्स क्रेडिट
केपीए	प्रमुख समस्या क्षेत्र
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमओवी	एमओवी फॉर्म का उपयोग पारगमन में माल के निरीक्षण, सत्यापन और जब्ती के लिए किया जाता है
एमवी	मौद्रिक मूल्य
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
ओआईओ	ऑर्डर-इन-ओरिजिनल
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीएएन	स्थायी पहचान संख्या
आर सी	पंजीयन प्रमाणपत्र
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसजीएसटी	राज्य माल और सेवा कर अधिनियम
एसकेडी	सेमी-नॉक्ड डाउन
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसएसओ-आईडी	सिंगल साइन-ऑन आईडी
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वाहन	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित वेबसाइट
यूआरपी	अपंजीकृत व्यक्ति
डब्ल्यूएस	भारित स्कोर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in